आपदा प्रबन्धन हेतु

बाढ़ मैनुअल

2008

जिला प्रशासन के लिये मार्गदर्शिका

जी०ओ०आई०-यू०एन०डी०पी० कार्यक्रम

प्राक्कथन

बाढ़ एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसमें प्रत्येक वर्ष प्रदेश का एक बड़ा भूभाग किसी न किसी रूप में प्रभावित होता है। वर्ष 1973 से लेकर 2007 तक यदि बाढ़ की स्थिति का आकलन किया जाय तो हम पायेंगे कि 35 वर्षों में औसतन 34 जिले प्रभावित रहे हैं। वर्ष 1978–1985 तथा 1998 में 55 जिले बाढ़ से ग्रस्त रहे हैं। वर्ष 2007 में भी नेपाल से निकलने वाली नदियों के फलस्वरूप 20 जनपद बाढ़ग्रस्त रहे हैं।

इस प्रकार बाढ़ एक ऐसी आपदा है जो अपने साथ अपार धन, जन की क्षति को लेकर आती है। ऐसी दशा में इस आपदा का प्रबन्धन जिसके अन्तर्गत आपदा पूर्व तैयारी आपदाकाल में राहत एवं बचाव कार्य, सामान्य जीवन की पुनर्स्थापना/क्षतिग्रस्त सामुदायिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत/ सूचनाओं का सम्प्रेषण एवं अभिलेखीकरण/विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी संगठनों की सहभागिता एवं उनका समन्वय महत्वपूर्ण आयाम है, जिनके कुशल प्रबन्धन से आपदा तो नही रोकी जा सकती किन्तु इसके दुष्प्रभावों को कम किया जा सकता है।

इस कड़ी में ''यू0एन0डी0पी0–डी0आर0एम0 कार्यक्रम'' अन्तर्गत प्रदेश में जिला प्रशासन हेतु मार्गदर्शिका के रूप में बाढ़ मैनुअल सृजित कर भेजा जा रहा है जिसके उपयोग की अपेक्षा की जाती है। मण्डलायुक्तों से विशेष अनुरोध है कि बाढ़ पूर्व तथा बाढ़ के दौरान अपने मण्डल के जिलों में बाढ़ से सम्बन्धित आपदा प्रबन्धन की समीक्षा एवं प्रबन्धन कार्यों का निरन्तर अनुश्रवण किया जाय। इसमें और सुधार हेतु उपयोगकर्ताओं के सुझावों का सहर्ष स्वागत है।

दिनॉक 21.5.2008

(उमेश सिन्हा)
सचिव नियोजन
एवं
राज्य परियोजना अधिकारी
जी.ओ.आई –
यू0एन0डी0पी0
डी0आर0एम0 कार्यक्रम

बलविन्दर कुमार
प्रमुख सचिव राजस्व
उत्तर प्रदेश शासन।

अ0शा0पत्र सं0–
फैक्स : 0522–2236309
फोन : 0522–22338668
प्रथम तल, बापू भवन,
उत्तर प्रदेश सचिवालय,
लखनऊ दिनांक मई, 2008

प्रिय महोदय,

वर्षा ऋतु में हर वर्ष प्रदेश के बहुत से क्षेत्र वायु व जल प्लावन जैसी आपदा से प्रभावित होते हैं किन्तु अधिकांश लोगों के लिये आपदा एक ऐसी घटना है, जो सदैव कहीं और घटित होती है किन्तु उनके क्षेत्र में कभी नही। अधिकांश लोगों को ऐसी आपदा के लिये तैयारी करने में कोई सार नही दिखाई देता है, जिसका शायद उन्हें कभी सामना न करना पड़ा हो। ऐसी दशा में यदि आपदा आती है तो पूर्व तैयारियों के अभाव में इसके परिणाम काफी घातक होते हैं।

बाढ़ जैसी नैसर्गिक आपदा की विभीषका को कम करने हेतु जीवन तथा संपत्ति संबन्धी जोखिम जैसी विषम परिस्थितियो में त्वरित राहत प्रदान करने हेतु समुदाय तथा सरकारी तंत्र की आपदा के प्रति संवेदनशीलता, जागरूकता, आपदा पूर्व तैयारी आवश्यक है, जिसमें राज्य सरकार तथा समुदाय के व्यक्तियो का समिष्ट समूह बना कर आपदा से निपटा जा सकता है। सरकारी तथा सामुदायिक व्यक्तियो के दल में संयोजन से सरकारी मशीनरी (vice-versa) का भी आपदा के समय राहत एवं बचाव हेतु कुशल समन्वय हो सकता है। इस हेतु बाढ़ की विभीषिका को कम करने के लिये जिला प्रशासन हेतु मार्ग–निर्देशिका का संकलन करके भेजा जा रहा है।

उक्त का अध्ययन कर अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के माध्यम से इसका सम्यक उपयोग करें व स्थानीय परिस्थितियों में बाढ़ से निपटने हेतु कोई सुझाव हो तो अद्योहस्ताक्षरी को अवगत कराने का कष्ट करें।

शुभकामनाओं सहित।

भवदीय,

(बलविन्दर कुमार)
प्रमुख सचिव राजस्व

संख्या–1789 / 1–11–2008–17(जी) / 20 07

प्रेषक,

जी0के0 टण्डन
सचिव एवं राहत आयुक्त
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग–11 लखनऊ : दिनांक मई, 2008

विषय : **वर्ष 2008 में बाढ़ प्रबन्ध योजना का क्रियान्वयन तथा बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों को तत्काल राहत प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्षा ऋतु में हर वर्ष प्रदेश के बहुत से क्षेत्र बाढ़ एवं जलप्लावन से प्रभावित होते हैं, जिससे फसलों के साथ–साथ सम्पत्ति को भी गम्भीर हानि होती है। अतः यह आवश्यक है कि पिछले वर्षों के अनुभव के आधार पर बाढ़ जैसी दैवी आपदा तथा उससे उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिये पहले से ही तैयारी रखी जाय, ताकि बाढ़ की स्थिति में जन एवं धन की हानि कम से कम हो और पीड़ित व्यक्तियों का अविलम्ब राहत पहुंचाना सम्भव हो सके।

शासन स्तर से किसी जनपद या क्षेत्र विशेष को औपचारिक रूप से बाढ़ग्रस्त घोषित नहीं किया जाता है। अपितु अपेक्षा यह है कि बाढ़ आने पर जिला प्रशासन द्वारा तत्काल बचाव एवं राहत कार्य आरम्भ कर दिया जाय। प्रत्येक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में बिना किसी अतिरिक्त निर्देश के समुचित राहत पहुंचाना जिलाधिकारी का दायित्व है। अतः राहत कार्य प्रारम्भ करने के लिये शासन स्तर से किसी औपचारिक घोषणा के लिये न तो प्रस्ताव भेजा जाय और न घोषणा की अपेक्षा व प्रतीक्षा ही की जाय। आगामी वर्षा ऋतु में सम्भावित बाढ़ से उत्पन्न स्थिति का सामना करने तथा प्रभावित व्यक्तियों को सहायता देने की कार्यवाही करने हेतु बाढ़ मैनुअल में उल्लिखित बिन्दुओं पर अविलम्ब कार्यवाही पूर्ण कर ली जाय।

इस आशय से बाढ़ के सम्बन्ध में विस्तृत बाढ़ मैनुअल बाढ़ से निपटने हेतु सुलभ संदर्भ के रूप में भेजा जा रहा है। कृपया इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें।

संलग्नक : यथोपरि

भवदीय,
ह0
(जी0के0 टण्डन)
राहत आयुक्त एवं सचिव राजस्व

संख्या–**1789 / 1–11–2008 तद्दिनांक**

उपर्युक्त पत्र की प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अपने विभाग से सम्बन्धित बाढ़ की प्रबन्ध योजना तैयार कराकर क्रियान्वयन करने हेतु सभी सम्बन्धित को आवश्यक निर्देश जारी करके उसकी प्रति राजस्व अनुभाग–11 को (सम्बन्धित

विभाग के समन्वय अधिकारी के नाम/पदनाम, टेलीफोन नम्बर सहित) उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

1. प्रमुख सचिव, गृह विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
6. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन।।
7. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
8. प्रमुख सचिव, कृषि विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
9. प्रमुख सचिव, भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
10. प्रमुख सचिव, वन विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
11. प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
12. प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
13. प्रमुख सचिव, पशुधन विभाग उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से

(राज किशोर यादव)
विशेष सचिव

संख्या–1789(2)/1–11–2008 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग उत्तर प्रदेश जवाहर भवन, लखनऊ।
4. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद लखनऊ।
5. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वासयि, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. निदेशक, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश, जल निगम, लखनऊ।
8. निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
9. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
10. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
12. निदेशक, मौसम केन्द्र, अमौसी एयरपोर्ट, लखनऊ।
13. आपदा प्रबन्ध प्रकोष्ठ, उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्ध अकादमी लखनऊ।
14. राजस्व अनुभाग–10 एवं 11 उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।

आज्ञा से

(राज किशोर यादव)
विशेष सचिव

जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ से निपटने हेतु आवश्यक रणनीति

(अ) बाढ़ पूर्व तैयारियाँ

1. दैवी आपदाओं के प्रबन्धन को प्रभावी एवं विश्वसनीय बनाने तथा इसमें सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला दैवी आपदा प्रबन्धन परामर्श समिति का गठन किया गया है। इस समिति की सामान्य बैठक प्रत्येक त्रैमास में कम से कम एक बार क्रमशः मार्च, जून, सितम्बर व दिसम्बर माह में सुनिश्चित की जानी चाहिये तथा आवश्यकता पड़ने पर कभी भी बुलाई जा सकती है।
2. जिला बाढ़ प्रबन्धन योजना को 15 मई तक पूर्ण कर शासन को प्रेषित करने के निर्देश शासन द्वारा दिये गये हैं तथा जिलाधिकारी अपने जिले की आपदा प्रबन्धन योजना को अपने जिले की वेबसाइट पर अपलोड करवा लें।
3. प्रदेश में मानसून वर्षा अवधि में बाढ़ की चेतावनी को समय से प्रसारित करने में प्रथमतः भारत सरकार से ही इस आशय के निर्देश प्राप्त हो जाते हैं कि बाढ़ एवं उससे उत्पन्न होने वाली विभीषिका की परिणामी क्षति की सूचनायें **दिनांक 01 जून से 30 सितम्बर** की अवधि में भारत सरकार को उनके द्वारा निर्धारित प्रारूप में उन्हें नियमित रूप से प्रेषित की जाय। अतः 01 जून से ही सम्भावित बाढ़ के प्रति सतर्कता की स्थिति बरती जाय।
4. भारतीय मौसम विभाग द्वारा दिनांक 01 जून से 30 सितम्बर तक दैनिक वर्षा तथा साप्ताहिक वर्षा के आंकड़े उपलब्ध कराये जाते हैं, जिसमें सामान्य वर्षा के आंकड़े के सापेक्ष वर्षा का विचलन प्रतिशत में अंकित किया जाता है।
5. राज्य स्तर (शासन स्तर पर) राहत आयुक्त के नियंत्रणाधीन राज्य आपदा नियंत्रण कक्ष, छठा तल, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय में स्थापित है जो आपदा की स्थिति में 24 घण्टे सक्रिय होता है। नियंत्रण कक्ष का **दूरभाष नम्बर 0522–2238084** है। **E-mail ID : relief_commissioner@yahoo.com** है जिस पर कभी भी आपात सूचना दी जा सकती है।
6. केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष, सिंचाई भवन, एनेक्सी लखनऊ जिसके द्वारा बाढ़ की विशेष सूचना दैनिक बाढ़ बुलेटिन के रूप में जारी की जाती है कि **दूरभाष संख्या 0522– 2610293, फैक्स : 0522–2231583, 0522–2610294** है।
7. केन्द्रीय जल आयोग भारत सरकार के अधिशासी अभियन्ता का कार्यालय जल तरंग भवन प्रताप बाग अलीगंज लखनऊ में स्थापित है जहाँ पर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ यथा– गंगा, रामगंगा, यमुना, बेतुआ, केन, चंबल, गोमती, सरयू, शारदा, घाघरा, राप्ती, बूढ़ी राप्ती, कुन्हरा, रोहणी, क्वानो, गण्डक में जल प्रवाह/जल दबाव/बाढ़ पूर्वानुमान की सूचना केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष, सिंचाई भवन, एनेक्सी लखनऊ को उपलब्ध करायी जाती है। उक्त कार्यालय की **दूरभाष संख्या – 0522–2373181,** नियंत्रण कक्ष **दूरभाष संख्या– 0522–2334935, फैक्स संख्या– 0522–2389158** है।
8. सम्भावित बाढ़ के प्रति शासन द्वारा जारी किये गये निर्देशों में यह स्पष्ट उल्लेख होता है कि बाढ़ की सूचना एवं उससे सम्बन्धित संचार व्यवस्था त्वरित एवं सुदृढ़ हो। इस निर्देश में जनपद स्तर पर आपदा नियंत्रण कक्ष की स्थापना माह मई में ही कर लिये जाने के निर्देश होते हैं। बाढ़ राहत कार्यो के लिये किसी अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित कर उसका नाम, पता व दूरभाष नम्बर आदि की

सूचना अन्य सभी सम्बन्धित विभाग, जिनका सम्बन्ध सीधे बाढ़ राहत कार्यो की सूचना भी जनपदीय आपदा नियंत्रण कक्ष को स्थापित कराना होता है।

9. प्रतिदिन यह सूचना तहसील मुख्यालय से जनपद मुख्यालय को प्रातः 10 बजे तक एवं जनपद से राज्य मुख्यालय तक मध्यान्ह 12 बजे तक अवश्य प्रेषित कर दी जाय।

10. जिलाधिकारी के नियंत्रण में जनपद के **अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व** आपदा नियंत्रण कक्ष तथा प्रमाणित नैत्यिक सूचनाओं के एकत्रीकरण व सम्प्रेषण हेतु उत्तरदायी होंगे। तहसील स्तर पर उपरोक्त कार्य उपजिलाधिकारी द्वारा निष्पादित किय ाजायेगा।

11. राजस्व विभाग में राहत आयुक्त की वेबसाइट **www.rahat.up.nic.in** पर सूखा आपदा के लिये, बाढ़ आपदा के लिये, दैनिक वर्षा, संचयी व्यय/भौतिक कार्य विवरण की डाटा प्रविष्टि प्रत्येक दिवस में सांय 5 बजे की जाय। उक्त की समीक्षा उच्च स्तर पर नियमित रूप से किया जाना प्रस्तावित है। प्रत्येक जनपद में उक्त प्रविष्टि हेतु यूजर नेम व पासवर्ड पूर्व से आवंटित हैं। कृपया उपरोक्त का नियमित रूप से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

12. आपात सहायता सम्बन्धी **टॉल फ्री दूरभाष 1077**, आपदा नियंत्रण कक्ष में स्थापित कर चौबिस घण्टे संचालित रखा जाय। इसका भुगतान आपदा राहत निधि से किया जाय।

13. राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा सी0यू0जी0 मोबाइल हमेशा आन रखा जाय एवं अधिकारी सदैव इसे अपने साथ रखे।

14. प्रत्येक तहसील एवं जनपद मुख्यालय पर स्थापित ''रेनगेज'' (वर्षा मापक यंत्र), तापमान मापक यंत्र ठीक ढंग से स्थापित कर कार्य में लाये जाय मानसून के दौरान दिनांक (01 जून से 15 अक्टूबर तक) प्रत्येक दिवस पिछले 24 घन्टे की वर्षा सम्बन्धी सूचना प्रातः 8:30 बजे रिकार्ड करके 10 बजे तक प्रत्येक दशा में निदेशक मौसम, अमौसी लखनऊ को फैक्स के माध्यम से अथवा मेल पर भेज दिया जाय एवं राहत आयुक्त की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाय।

    - **डा0 के0पी0 कुलश्रेष्ठ, निदेशक मौसम,** अमौसी लखनऊ।
    - दूरभाष एवं फैक्स नं0 **0522–2436301**
    - दूरभाष नं0 **0522–2436283, 0522–2435406**
    - ईमेल आईडी – **mclkm@yahoo.com**

यह सूचना प्रतिदिन भेजना अत्यन्त आवश्यक है ताकि बाढ़ की संभावनाओं का सही आकलन किया जा सके।

15. जनपद स्तर पर बाढ़ आपदा से जुड़े प्रत्येक विभाग अपनी विस्तृत आपदा सम्बन्धी योजना के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित करा लें कि विभाग द्वारा योजना के अनुरूप बजट का प्राविधान करा लिया गया है।

16. जनपद स्तर पर आकस्मिक रूप से बाढ़ आने की स्थिति में त्वरित कार्यवाही की योजना बना ली जाय कि किस प्रकार अल्पसूचना के आधार पर राजस्व, पुलिस एवं अन्य विभागों के सक्रिय सहयोग से कार्यवाही की जायेगी एवं स्वयं सेवी संस्थाओं व जनता के किन व्यक्तियों को खोज एवं बचाव दल में लगाकर उनका सहयोग प्राप्त किया जायेगा।

17. इस सम्बन्ध में सम्भावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मॉकड्रिल भी अवश्य करा लिया जाय ताकि बाढ़ की स्थिति में बचाव एवं राहत का कार्य त्वरित गति से सुनिश्चित किया जा सके।

18. मानसून आने से पूर्व नालों की सफाई और बांधों की मरम्मत का कार्य सुनिश्चित किया जाय।

19. नावों की संख्या, घाटों, नाविकों एवं स्वामियों के पूरे पते आदि रखा जाय। यदि किसी जनपद में पर्याप्त संख्या में नावें उपलब्ध न हों, तो यह भी ज्ञात किया जाय कि अतिरिक्त संख्या में नावें कहाँ से उपलब्ध हो सकेगी। साथ ही साथ इसका भी परीक्षण कर लिया जाय कि जनपद में जो राजस्व विभाग के या अन्य मोटर बोट/लान्च हो, वे चालू हालत में रहें।

20. बाढ़ की आपात स्थिति में जिला प्रशासन तथा पुलिस प्रशासन के बीच त्वरित संचार की स्थापना हेतु क्लोज्ड यूजर्स ग्रुप (मोबाइल दूरभाष सेवा) प्रचलित है।

21. बाढ़ चौकियों एवं बाढ़ सुरक्षा केन्द्रों को सम्भावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चिन्हींकरण कर स्थापित किया जाता है तथा इन पर तैनात किये जाने वाले अधिकारियों का विवरण शासन को प्रेषित किया जाता है।

22. जन प्रतिनिधियों तथा स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों को राहत कार्यों में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में दल बना लिये जायं, जिसमें ऐसे लोगों को सम्मिलित किया जाय जो निःस्वार्थ रूप से संकट काल में जनता की सहायता करने में अग्रणी रहते हो व जिनकी समाज में अच्छी प्रतिष्ठा हो। ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को प्राथमिकता दी जाय। इन दलों के माध्यम से यह निर्धारित किया जाना कि किन संस्थाओं तथा व्यक्तियों द्वारा किस प्रकार का सहयोग प्राप्त किया जाना लाभदायक होगा। स्थानीय संसाधनों (अग्निशमन, स्वास्थ्य, सिविलडिफेंस, रेडक्रास, पी0ए0सी0 इत्यादि) के माध्यम से इन दलों को वांछित तकनीकी ज्ञान एवं प्रशिक्षण दिया जाय।

23. बाढ़ की स्थिति में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यो के संचालन हेतु राज्य स्तर पर आपदा राहत निधि से धनराशि की व्यवस्था की जाती है। बाढ़ की विभीषिका अथवा बाढ़ संकट के गम्भीर हो जाने की स्थिति में राहत एवं बचाव कार्यो हेतु पी0ए0सी0 की बाढ़ कम्पनियों तथा सेना की सहायता भी ली जाती है।

24. उत्तर प्रदेश में सेना की आपात सहायता हेतु सम्पर्क सूत्र निम्नानुसार है :–

1. **कर्नल दीपक तलवार** G.S. (ops/air) हेडक्वार्टर सेन्ट्रल कमाण्ड लखनऊ
   - कर्यालय दूरभाष– 0522–2292635, 0522–2480015
   - आवास दूरभाष– 0522–2292636, 0522–2480424
   - मोबाइल नम्बर– 09889349047

2. **कर्नल डी0सी0 शर्मा,** G.S. (Lko sub-area) हेडक्वार्टर सेन्ट्रल कमाण्ड लखनऊ
   - कर्यालय दूरभाष– 0522–248342
   - मोबाइल नम्बर– 09839412062

25. बाढ़ चौकियों/बाढ़ सुरक्षा केन्द्रों के लिये आवश्यक संख्या में नावों की व्यवस्था रहती है तथा जिला प्रशासन आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त नावों की व्यवस्था किराये पर करते हैं, इस हेतु वे जनपद के घाटों, नाविकों एवं नावों के स्वामियों के पूरे पते आदि रखते हैं। राजस्व विभाग के अथवा अन्य विभागों के मोटर बोट भी प्रयोग में लाये जाते हैं।

26. भूस्खलन/जल भराव संवेदी ग्रामों की सूची भी जिला प्रशासन पहले से ही तैयार कर सिंचाई विभाग को उपलब्ध कराने के निर्देश हैं।

27. जनपद के अन्तर्गत पड़ने वाले सभी बांधों कटान से प्रभावित होने वाले, जल भराव से प्रभावित होने वाले तथा पानी निकासी के क्षेत्रों को चिन्हित कर बाढ़ योजना में विशेष
28. जनपदों में बाढ़ प्रबन्धन योजना के सुसंगत अंश की जानकारी प्रभावित क्षेत्र के आम लोगों को अभी से ही दे दी जाय ताकि वे इसके लिये मानसिक रूप से तैयार रहें।
29. जनपद के ऐसे सभी विभाग, जिनकी बाढ़ के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका होती है, द्वारा विस्तृत योजना (इमरजेन्सी सपोर्ट फंक्शन) तैयार करा ली जाय। इस ई0एस0एफ0 में विभाग द्वारा क्या जिम्मेदारियाँ निभायी जायेगी और इसकी क्या प्रक्रिया होगी व किस अधिकारी द्वारा क्या कार्य किया जायेगा का विस्तृत उल्लेख हा। प्रत्येक विभाग की ई0एस0एफ0 को विभागों एवं जिला नियंत्रण कक्ष में रखा जाय ताकि आपदा आने पर कार्यवाही तुरन्त एवं अविलम्ब प्रारम्भ हो सके। साथ–साथ बाढ़ चौकियों व सुरक्षा केन्द्रों पर तैनात किये जाने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों की सूची व उनके कर्तव्यों का निर्धारण कर लिया जाय।
30. बाढ़ के दिनों में जिन वस्तुओं को खरीदनें या किराये पर लेने की आवश्यकता होती है तथा जिनके शासकीय मूल्य निर्धारित नही है उनके मूल्य पारदर्शी पद्धति से अभी ही निर्धारित कर लिये जाय।
31. बाढ़ सम्बन्धी पूर्व चेतावनी को तत्काल प्राप्त करने तथा प्रभावित क्षेत्र में इसके व्यापक प्रसारण की व्यवस्था की जाय। इस हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों को ग्रामवार स्पष्ट रूप से उत्तरदायी बनाया जाय।
32. बाढ़ सुरक्षा एवं राहत कार्य से जुड़े विभागों के जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ लगातार सम्पर्क रखा जाय।

(ब) बाढ़ आ जाने पर क्या करें

1. बाढ़ आ जाने पर मुख्य रूप से जिला प्रशासन द्वारा कुशल प्रबन्धन के माध्यम से उपरोक्त स्थिति से निपटना चाहिये।
2. स्थानीय प्रतिनिधियों के सहयोग से जिला प्रशासन द्वारा जनपद में उपलब्ध अन्य सुरक्षा इकाई जैसे – अर्द्धसैनिक बल एवं सैन्य दल को आवश्यकतानुसार सहयोग प्राप्त करना चाहिये। बाढ़ की विषम परिस्थितियों में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
3. ग्रामीण तथा नगरीय स्थानीयों निकाय के सहयोग से बाढ़ पीडितों के लिये सुरक्षित आवास एवं अन्य आवश्यक प्रबन्ध किये जाने चाहिये क्योंकि उन्हे स्थानीय परिस्थितियों का अधिक ज्ञान होता है।
4. बाढ़ की अवधि में जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ से बचने की स्थानीय प्रचलित गतिविधियों, जिनका समय–समय पर बाढ़ की स्थिति में परीक्षण किया जा चुका है, को प्रयोग में लाया जाय।
5. बाढ़ प्रभावितों को सुरक्षित स्थानों पर पहुॅचाने हेतु बाढ़ राहत केन्द्र स्थापित किये जाते हैं, जो प्रायः जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के चिन्हीकरण के आधार पर स्थानीय विद्यालय अथवा अन्य शासकीय भवनों में होते हैं।
6. बाढ़ प्रभावितों के लिये आश्रय तथा भोजनादि की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा आपदा राहत निधि से प्राप्त धनराशि से भारत सरकार द्वारा निर्धारित मदों व मानकों के अनुसार व्यय किया जाय।

7. जनप्रतिनिधियों तथा स्वैच्छिक संस्थओं के प्रतिनिधियों को राहत कार्यों में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में एक कार्यदल (एक्शन ग्रुप) बनाया जाय, जिसमें ऐसे लोगों को सम्मिलित किया जाय जो निःस्वार्थ रूप से संकटकाल में जनता की सहायता करने में अग्रणी रहते हो व जिनकी समाज में अच्छी प्रतिष्ठा हो। ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को प्राथमिकता दी जाय। इस कार्यदल के माध्यम से यह निर्धारित किया जाय कि किन संस्थाओं तथा व्यक्तियों द्वारा किस प्रकार का सहयोग प्राप्त किया जायेगा। इस संबंध में स्वैच्छिक एवं दातव्य संस्थाओं, संगठनों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं की एक बैठक बुलाकर उनके सहयोग की रूपरेखा निर्धारित की जाय। सहायता वितरण के लिये कार्ययोजना बनाकर उसका व्यापक प्रचार किया जाय। विशेषरूप से इसकी जानकारी क्षेत्र के ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत प्रमुखों, विधायकों एवं सांसदों को दी जाय।
8. बाढ़ से लापता हुये लोगों को ढूँढना आपातकालीन आवासीय व्यवस्था हेतु शरणार्थी शिविर का प्रबन्ध, बाढ़ राहत सामग्रियों का वितरण जैसे पानी, सूखा भोज्य पदार्थ (चूडा, मूडी, गुड, बिस्कुट इत्यादि) मिट्टी का तेल, मोमबत्ती और माचिस हमेशा स्टाक में रखा जाय। पालिथीन बैंग, वाटर प्रूफ बैग आदि, जिसमें कपड़े, मॅहगा सामान, छाता, चीनी, नमक व लकड़ी इत्यादि को रखा जाय। प्राथमिक उपचार बाक्स और मजबूत रस्सी का भी प्रबन्ध किया जाय।
9. नेपाल राज्य से आने वाली नदियों में जलाशयों से अवमुक्त किये जाने वाले जल की सूचना के सम्बन्ध में नेपाल के सीमावर्ती जिले के जिला प्रभारियों से निरन्तर सम्पर्क एवं समन्वय बनाये रखा जाय।
10. बाढ़ या जल जमाव की स्थिति उत्पन्न होने पर किसी अन्य दिशा निर्देश या जनपद/क्षेत्र को बाढ़ग्रस्त घोषित होने की प्रतीक्षा किये बिना तत्काल सभी प्रकार के राहत कार्य आरम्भ कर दिये जाय।
11. जलमग्न होने वाले क्षेत्रों की जनसंख्या एवं पशुओं को सुरक्षित स्थान पर पहुॅचाया जाय।
12. नावों में निर्धारित सीमा से अधिक भार न लादे जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।
13. राहत केन्द्रों पर आये बाढ़ पीड़ितों के आवास, भोजन, चिकित्सा आदि की समुचित व्यवस्था की जाय।
14. आवश्यकतानुसार पशुओं के चारे एवं दवाओं की व्यवस्था की जाय।
15. कई बार जलमग्न ग्राम के निवासी अपना घर नही छोड़ना चाहते हैं। यदि इलाके में जलमग्नता के कारण उनके समक्ष भोजन की समस्या उत्पन्न हो गई है तो उन्हें भी निर्धारित दर से राहत सामग्री उपलब्ध कराई जाय जैसे कि राहत केन्द्रों पर दी जाती है।
16. राहत सामग्री का वितरण पारदर्शी ढंग से किया जाय तथा इस कार्य में जनता एवं जनप्रतिनिधियों का अधिक से अधिक सहयोग प्राप्त किया जाय।
17. यदि आपदा राहत निधि से आवंटित धनराशि कम पड़ती है तो भी राहत कार्य को रोका न जाय। वॉछित धनराशि टी0आर0 27 से आहरित कर ली जाय तथा प्रतिपूर्ति हेतु पूर्ण विवरण तत्काल राहत आयुक्त को उपलब्ध कराया जाय। राहत आयुक्त को 24 घण्टे के अन्दर उक्त सूचना दूरभाष पर भी दी जाय।
18. बाढ़ की पूरी अवधि में इससे हुई क्षति तथा वितरित राहत का विस्तृत व्यौरा प्रतिदिन आपदा नियंत्रण कक्ष को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाय।

19. इस रिपोर्ट की प्रति स्थानीय प्रिन्ट एवं दृश्य मीडिया को भी उपलब्ध करा दी जाय ताकि भ्रामक समाचार यथासंभव न प्रकाशित हो। यदि ऐसी कोई खबर संज्ञान में आये तो तत्काल इसका तथ्यात्मक खण्डन किया जाय।
20. बाढ़ आने पर जल विसंक्रमण की तथा जीवन रक्षक औषधियों की की उपलब्धता यथा संभव ग्राम स्तर पर रखी जाय स्वास्थ्य सहायक तथा ए0एम0एम0 वर्कर के माध्यम से इसका वितरण कराया जाय।
21. बाढ़ राहत केन्दों या उसके पास के सुरक्षित स्थान पर आवश्यक खाद्य वस्तुओं, दवाओं, मिट्टी का तेल, पालीथीन आदि की उपलब्धता का सत्यापन करा लिया जाय।
22. बाढ़ के दौरान जानवरों एवं मानव के शवों को वालेन्टियर/सहायक इकाईयों/पुलिस के सहयोग से उचित स्थान पर उचित रीति से निस्तारण किया जाय।
23. आपातकालीन बाढ़ सुरक्षा उपायों को अत्यधिक तत्परता से क्रियान्वित किया जाय। बाढ़ की स्थिति में प्रायः आसानी से उपलब्ध हो सकने वाली सामग्री से अस्थाई तटबंध व अवरोध बनाये जाय ताकि कम समय में आवश्यक वस्तुओं, मजदूरों व उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।
24. बालू प्रायः बहुतायत में उपलब्ध होता है। बालू से भरी बोरियों की सहायता से जल अवरोध का निर्माण किया जाना सर्वाधिक प्रचलित आपातकालीन बाढ़ सुरक्षा उपाय है। बालू भरे जाने के लिये प्रयुक्त होने वाले बोरों को मजबूत होने के साथ–साथ पानी से खराब हो सकने वाले पदार्थ से निर्मित नहीं होना चाहिये। पानी से बालू की बोरियों की सुरक्षा के दृष्टिगत तटबन्ध बीचों–बीच एक गहरी नाली बनायी जानी चाहिये। तटबंध बनाने के लिये प्रयुक्त होने वाले बोरों में बहुत ज्यादा रेत नहीं भरी जानी चाहिये। इससे यह एक–दूसरे को आसानी से ढक पायेगी व परस्पर मजबूती से बंधी रहेगी। बोरों को इस प्रकार से रखा जाना चाहिये कि प्रत्येक पंक्ति दूसरे के लम्बवत् हो। जल रिसाव को न्यूनतम कियेजाने के लिये बाढ़ के पानी के सम्पर्क में आने वाले तटबन्ध के छोर को मजबूत प्लास्टिक की चादर से ढका जाना चाहिये। वैकल्पिक रूप में पहले लकड़ी के छोटे टुकड़ों व तेल के खाली ड्रमों की कतार लगा कर स्थिरता के दृष्टिगत इसके आगे रेत से भरे बोरों को पंक्तिबद्ध किया जा सकता है। बालू के बोरों के मध्य से पानी का रिसाव रोकने के लिये पानी के सम्पर्क में आने वाले छोर को मजबूत प्लास्टिक की चादर से ढका जा सकता है।
25. प्रायः जल प्वावित हो जाने वाले क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर पानी निकासी हेतु पम्पों एवं अन्य आवश्यक उपकरणों को व्यवस्था की जाय।
26. परिवहन व्यवस्था, विभिन्न राहत कार्यो हेतु गठित विभिन्न टीमों, स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों इत्यादि के साथ जिला प्रशासन का समन्वय निरन्तर बनाये रखा जाय।
27. नदी के किनारों, भूस्खलन संभावित क्षेत्रों व सुरक्षा की दृष्टि से खाली कराये गये क्षेत्रों से नागरिकों को दूर रखा जाय।
28. राहत शिविर तथा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की बसावट/ग्रामों में मोबाइल चिकित्सीय दल का निरन्तर भ्रमण कराया जाय व आवश्यक जीवन रक्षक औषधियों की प्रचुर व्यवस्था रखी जाय।
29. स्थानीय/राष्ट्रीय/स्वैच्छिक संस्थाओं का व उनके संसाधनों का भी सहयोग लिया जाय।

30. पशुओं हेतु आवश्यकता पड़ने पर राहत शिविर की व्यवस्था की जाय एवं इनके लिये प्रचुर मात्रा में आवश्यक औषधियों, टीकाकरण आदि की व्यवस्था की जाय।
31. बाढ़ से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्ति यथा– सड़क, विद्युत आपूर्ति, अस्पताल आदि जिसके फलस्वरूप राहत कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही हो, उसे तत्काल ठीक कराया जाय।
32. नदी तटबंध पर अत्यधिक जल दबाव होने पर तटबंधों के टूटने की स्थिति उत्पन्न होने पर सिंचाई विभाग द्वारा जारी चेतावनी को प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में त्वरित गति से प्रचार–प्रसार कराया जाय, ताकि उस क्षेत्र को ससमय खाली किया जा सके।
33. बाढ़ के दौरान हुई क्षतिग्रस्त निजी तथा सामुदायिक परिसम्पत्तियों, राहत शिविरों राहत वितरण व्यवस्था की फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी भी करायी जाय।
34. बाढ़ क्षेत्रों में वी0आई0पी0 / वी0वी0आई0पी0 दौरे हेतु हेलीकाप्टर के उतरने एवं भ्रमण की कार्ययोजना पूर्व से ही तैयार कर ली जाय।
35. जिलाधिकारियों द्वारा स्थानीय मीडिया से समन्वय कर सप्ताह में दो बार बाढ़ के सम्बन्ध में प्रेस बीफ्रिंग की जाय।
36. जिलाधिकारी द्वारा प्रतिदिन सायं 6 बजे तक बाढ़ की स्थिति, राहत एवं विकास कार्य के सम्बन्ध में प्रेस रिलीज जारी की जाय।
37. स्थानीय समाचार पत्रों एवं रेडियो में बाढ़ के सम्बन्ध में आ रही समस्याओं में किससे सम्पर्क किया जाये, इसका समय–समय पर प्रचार–प्रसार किया जाय।
38. विभिन्न विभागों द्वारा विभागीय निधि / आपदा राहत निधि से जनपदवार / तहसीलवार / विकासखण्डवार प्रचलित कार्यों के संक्षिप्त विवरण जनप्रतिनिधियों के मध्य वितरित कराये जाय।

(स) बाढ़ के बाद

1. बाढ़ के दौरान व बाढ़ के तत्काल पश्चात आपदा राहत निधि के मानकों में आने वाले राहत योग्य क्षति का त्वरित मूल्यांकन किया जाय एवं नियमानुसार राहत वितरण कार्य का निष्पादन किया जाय।
2. क्षतिग्रस्त हुई सामुदायिक परिसम्पत्तियों का विभागवार आकलन किया जाय व सम्बद्ध विभाग द्वारा उपरोक्त के पुनर्निर्माण हेतु प्राथमिक आगणन बनवाया जाय ताकि वास्तविक क्षति का मूल्यांकन किया जा सके।
3. निजी परिसम्पत्ति एवं कृषि प्रयोज्य भूमि पर हुये नुकसान का मूल्यांकन भी कराया जाय व उपरोक्त की तथ्यात्क रिपोर्ट सम्बन्धित विभाग को व सचिव राजस्व एवं राहत आयुक्त को प्रेषित की जाय।
4. स्वास्थ्य विभाग तथा आई0सी0डी0एस0 के माध्यम से विभिन्न महामारियों के रोकथाम हेतु व्यापक टीकाकरण अभियान चलाया जाय।
5. स्वास्थ्य विभाग द्वारा महामारियों को रोकने हेतु समस्त आवश्यक उपाय किये जायं।
6. बाढ़ के दौरान व बाढ़ पश्चात पेयजल सम्बन्धी समस्त स्रोतों यथा– तालाब, कूप, हैण्डपम्प आदि को विसंक्रमित किया जाय।
7. विभागीय प्रमुखों के अनुमोदन से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में physical, economic and social rehabilitation हेतु चल रही योजनाओं को अधिकाधिक मात्राकृत किया जाय।

8. विकासखण्ड स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गोष्ठी का आयोजन कर कृषकों, प्रधानगणों व जनपद के अधिकारियों/बैंक/कृषि विज्ञान केन्द्र के अधिकारियों से बाढ़ एवं उसके निदान पर परिचर्चा कराकर स्थानीय स्तर पर बाढ़ उपरान्त होने वाली समस्याओं का समाधान किया जाय।

(द) आपातकालीन वस्तुयें

बाढ़ की अवधि में और उसके एकदम बाद जीवन यापन के लिये परिवार स्तर पर कुछ आपातकालीन वस्तुओं की आपूर्ति होना अत्यन्त आवश्यक है। बाढ़ संभावित क्षेत्र में इन वस्तुओं को पृथक रखें :

1. बैटरी चलित छोटा रेडियो व टार्च
2. नयी बैटरी
3. केरासिन तेल, मोमबत्ती व जलरोधी दियासलाई
4. पीने के पानी व खाद्य सामग्री यथा– पानी, सूखा भोज्य पदार्था (चूड़ा, मूड़ी, गुण, बिस्कुट, लय्या–चना आदि) की यथोचित आपूर्ति
5. सर्दी, खाँसी, पेचिस, सिरदर्द व बुखार की आम दवाओं की प्राथमिक उपचार किट
6. विषैले जन्तुओं से रक्षा हेतु लाठी/डन्डा
7. मजबूत जूते और यदि सम्भव हो तो रब के दस्तानें
8. लाइफब्वाय, लाइफजैकेट, सर्च लाईट, रेन कोट, रोप लैडर, फोल्डिंग स्ट्रेचर, छाता, तिरपाल
9. अभिलेखों, बहुमूल्य वस्तुओं व कपड़ों को सुरक्षित रखने के लिये जलरोधी थैला
10. साफ पानी की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित होने तक पीने योग्य पानी एकत्रित करने के लिये प्लास्टिक की बाल्टी
11. आपके आपातकालीन सम्पर्कों के दूरभाष व पते (जिन्हें आपात स्थिति में सूचित किया जाना है)

(य) बिजली/तड़ित और बज्रपात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य

तड़ित/वज्रपात के दौरान कई लोग मरते या घायल होते हैं। कई घायल होने की घटनायें सामने भी आयीं हैं– बज्रपात के समय टेलीफोन का इस्तेमाल करने से लगे बिजली के झटके से, बज्रपात के दौरान निम्नलिखित सावधानियाँ ध्यान में रखीं जायं :–

1. अगर बिजली चमकने के 10 सेकेण्ड के बाद गर्जन सुनाई देती है तो इसका मतलब वो आपसे 3 कि0मी0 दूर है। अतः तुरंत ही सुरक्षित आश्रय ढूंढ गर्जन और बिजली चमकने में जितना कम समय लगता उतना ज्यादा पास में होता।
2. आंधी आने के पहले टीवी, रेडियो, और कम्प्यूटर सभी का मोडेम और पॉवर प्लग निकाल दें।
3. सारे पर्दे लगा दें। खिड़कियाँ बंद रखें। बिजली से चलने वाली वस्तुओं का इस्तेमाल **ना** करें।
4. टेलीफोन का इस्तेमाल **ना** करें। आपातकाल में फोन करें पर विद्युत चालक वस्तुओं को **ना** छुए। खाली पैर फर्श या जमीन पर **ना** खड़े रहें।
5. जब किसी पर बिजली गिरती है तो वो जल नहीं जाता बिल्क उसके हृदय और श्वास नली पर असर होता है।

6. करीबन 30 प्रतिशत लोग जिन पर बज्रपात होता है मरते हैं। अगर प्राथमिक उपचार सही समय पर दिया जाय तो लंबी बीमारी की संभावना भी बहुत कम हो जाती है।
7. अगर आपके कपड़े गीले हैं तो आप पर बज्रपात का उतना असर नहीं होगा क्योंकि आवेगित चार्ज कण गीले कपड़े से गुजर जाएगा ना कि शरीर से।
8. एक ही जगह पर बज्रपात कई बार हो सकता है।

(र) सिंचाई विभाग द्वारा बाढ़ के अनुश्रवण की व्यवस्था

1. बाढ़ नियन्त्रण कक्ष

बाढ़ के अत्यधिक प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में जनपदों के मुख्यालय तथा कुछ विशिष्ट कार्य स्थलों पर बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किये जा रहे हैं। बाढ़ स्थिति की सूचना इन कक्षों में एकत्रित की जायेगी तथा उन पर उचित एवं सामयिक कार्यवाही की जायेगी। लखनऊ के सिंचाई भवन एनेक्सी स्थिति केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष के अन्य सभी कक्ष सूचना भेजने के लिये दूर संचार टेलीफोन, फैक्स तार अथवा विशेष दूत का प्रयोग किया जायेगा। जनता, जन प्रतिनिधियों, स्थानीय अधिकारियों तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त बाढ़ सम्बन्धी समस्याओं को एक रजिस्टर पर अंकित किया जायेगा जिसमें समस्या के निराकरण का उल्लेख किया जायेगा।

बाढ़ नियंत्रण कक्ष, दिनांक 1 जून, 2008 से कार्य करना प्रारम्भ करेंगे तथा रात दिन इनमें अधिकारी तथा कर्मचारी कार्यरत रहेंगे। कक्षों में टेलीफोन की व्यवस्था भी रहेगी जिससे स्थानीय अधिकारी, जन–प्रतिनिधि व जनता के लोग, बाढ़ सम्बन्धी अपनी समस्याओं से इन कक्षों को अवगत करा सकें। यह कक्ष निम्नलिखित स्थालों पर खोलें जायेंगे :–

केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष सिंचाई भवन एनेक्सी, लखनऊ

अन्य बाढ़ नियंत्रण कक्ष–

1. गोमती सीमान्त बांध, दायां किनारा, लखनऊ	13. कानपुर नगर
2. गोमती सीमान्त बांध, बायां किनारा, लखनऊ	14. आगरा
3. बलिया	15. वाराणसी
4. आज़मगढ़	16. गोण्डा
5. गोरखपुर	17. फर्रूखाबाद
6. बस्ती	18. सिद्धार्थनगर
7. देवरिया	19. मऊ
8. जौनपुर	20. महाराजगंज
9. इलाहाबाद	21. कुशीनगर
10. मथुरा	22. पीलीभीत
11. बरेली	23. बुलन्दशहर
12. मेरठ	24. फैजाबाद

समस्त बाढ़ नियंत्रण कक्ष, केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष (सिंचाई भवन, एनेक्सी, कैनाल कालोनी, लखनऊ) को दैनिक सूचना भेजेंगे।

2. बाढ़ के पूर्वानुमान की व्यवस्था

प्रदेश में प्रवाहित नदियों की बाढ़ के पूर्वानुमान का कार्य केन्द्रीय जल आयोग के देहरादून, दिल्ली, आगरा, लखनऊ, वाराणसी एवं पटना में स्थित खण्ड़ों द्वारा किया जाता है उपरोक्त खण्ड अपने क्षेत्रों की नदियों के दैनिक एवं सम्भावित जलस्तर लखनऊ में स्थित केन्द्रीय जल आयोग के खण्ड प्रथम को अपने बेतार नेटवर्क द्वारा उपलब्ध कराते हैं जो पूरे प्रदेश की संकलित सूचना केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष, सिंचाई भवन एनेक्सी, लखनऊ, शासन आकाशवाणी, दूरदर्शन, सेना आदि को उपलब्ध कराती है। आकाशवाणी एवं दूरदर्शन द्वारा प्रतिदिन इन सूचनाओं का प्रसारण किया जाता है। केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष, लखनऊ द्वारा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, लखनऊ से प्राप्त अत्यधिक वर्षा एवं केन्द्रीय जल आयोग के खण्ड प्रथम से प्राप्त नदियों के जलस्तरों की फोरकास्ट, शासन, सम्बन्धित जिलाधिकारियों एवं विभाग के क्षेत्रीय एवं स्थानीय अधिकारियों को उपलब्ध करा दी जाती है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष, लखनऊ द्वारा प्रतिदिन प्रदेश को अन्य बाढ़ सम्बन्धी सूचनायें भी शासन एवं उच्चाधिकारियों को उपलब्ध कराई जाती है।

क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि बाढ़ काल में बाढ़ सम्बन्धी सूचनायें जिलाधिकारियों एवं निकटतम रेलवे/स्टेशन मास्टर/अधीक्षक तथा रेलवे खण्डीय अधिकारी को दी जायेगी।

नामांकित नोडल तथा समन्वय अधिकारी बाढ़ का जनपद–मण्डलवार विवरण

क्र. सं.	मण्डल/नोडल अधिकारी	जनपद एस0टी0डी0 कोड संख्या	बाढ़ समन्वय अधिकारी	दूरभाष	
				कार्यालय	आवास
1	2	3	4	5	6
1	सहारनपुर मण्डल				
	अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, सहारनपुर। कार्यालय 662129 निवास 2661779	सहारनपुर 0132	1– अधिशासी अभियन्ता अपर खण्ड पूर्वी यमुना नहर, सहारनपुर	2661370	2664070
		मुजफ्फरनगर 0131	3– अधिशासी अभियन्ता ड्रनेज खण्ड, मुजफ्फरनगर	2620175	2620195
2	मेरठ मण्डल				
	अधीक्षण अभियन्ता ड्रेनेज मण्डल, मेरठ। कार्यालय 2642968 निवास	मेरठ 0121	1– अधिशासी अभियन्ता ड्रेनेज खण्ड–1, मेरठ	2644254	2352285

क्र. सं.	मण्डल / नोडल अधिकारी	जनपद एस0टी0डी0 कोड संख्या	बाढ़ समन्वय अधिकारी	दूरभाष	
				कार्यालय	आवास
	2654874				
		बागपत 0131	2– अधिशासी अभियन्ता लोअर खण्ड पूर्वी यमुना नहर, मुजफ्फरनगर	2620717	2620220
		गाजियाबाद 0120	3– अधिशासी अभियन्ता सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद	2766562	2766562
		गौतमबुद्ध नगर 01189	4– अधिशासी अभियन्ता सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद	2766562	2733183
		बुलन्दशहर	5– अधिशासी अभियन्ता बुलन्दशहर खण्ड गंगा नहर, बुलन्दशहर	224625	224288
3	आगरा मण्डल				
	अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय मण्डल सिंचाई कार्य, आगरा। कार्यालय 2391928 निवास 2363024	आगरा 0562	1– अधिशासी अभियन्ता लोअर खण्ड आगरा नहर, आगरा।	2363714	222795
		एटा 05742	2– अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, एटा।	233370	233542
		मैनपुरी 05672	3– अधिशासी अभियन्ता मैनपुरी खण्ड निचली गंगा नहर, मैनपुरी	234534	234534
		अलीगढ़ 0571	4– अधिशासी अभियन्ता अलीगढ़ खण्ड गंगा नहर, अलीगढ़	2700496	2700420
		मथुरा 0565	5– अधिशासी अभियन्ता अपर	2406334	2044110

क्र. सं.	मण्डल / नोडल अधिकारी	जनपद एस0टी0डी0 कोड संख्या	बाढ़ समन्वय अधिकारी	दूरभाष	
				कार्यालय	आवास
			खण्ड आगरा नहर, मथुरा।		
		हाथरस 05722	6– अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड महामाया नगर, हाथरस	234374	235073
		फिरोजाबाद 05612	7– अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड, फिरोजाबाद	232849	232849
4	मुरादाबाद मण्डल				
	अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल मुरादाबाद कार्यालय 2436955 निवास 2436146	मुरादाबाद 0591	1– अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड, मुरादाबाद	2413718	2436131
		रामपुर 0595	2– अधिशासी अभियन्ता रामपुर नहर खण्ड, रामपुर	2325587	2436131
		बिजनौर 01344	3– अधिशासी अभियन्ता अफजलगंज सिंचाई खण्ड, धामपुर, बिजनौर	234247	230318
		ज्योतिफूले नगर 0591	4– अधिशासी अभियन्ता बाढ़ खण्ड, मुरादाबाद	2435397	2411944
5	बरेली मण्डल				
	अधीशासी अभियन्ता, बाढ़ कार्य मण्डल, बरेली।	बरेली 0581	1– अधिशासी अभियन्ता, रूहेलखण्ड नहर खण्ड़, बरेली	2429671	2427313
		बदायूँ 05832	2– अधिशासी अभियन्ता बाढ़ खण्ड बदायूँ	266692	268415
		शाहजहॉपुर 05842	3– अधिशासी अभियन्ता शाहजहॉपुर खण्ड शारदा नहर,	222910	223320

क्र. सं.	मण्डल/नोडल अधिकारी	जनपद एस0टी0डी0 कोड संख्या	बाढ़ समन्वय अधिकारी	दूरभाष	
				कार्यालय	आवास
			शाहजहॉपुर		
		पीलीभीत 05882	4– अधिशासी अभियन्ता शारदा सागर खण्ड, पीलीभीत	255949	255949
6	लखनऊ मण्डल				
	अधीक्षण अभियन्ता, षष्टम् मण्डल, सिंचाई कार्य लखनऊ। कार्यालय 2308966 निवास 2201545	लखनऊ 0522	1– अधिशासी अभियन्ता लखनऊ खण्ड –2 शारदा नहर, लखनऊ	2612083	2311704
		उन्नाव 0515	2– अधिशासी अभियन्ता उन्नाव खण्ड शारदा खण्ड, उन्नाव	2820235	9415225822
		लखीमपुर खीरी 05872	3– अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड़ प्रथम लखीमपुर खीरी	262948	
		सीतापुर 05862	4– अधिशासी अभियन्ता सीतापुर प्रखण्ड शारदा नहर, सीतापुर	245167	244777
		रायबरेली 0535	5– अधिशासी अभियन्ता रायबरेली खण्ड (दक्षिण) शारदा नहर, रायबरेली	2205489	
		हरदोई 05852	6– अधिशासी अभियन्ता हरदोई खण्ड, शारदा नहर, हरदोई	234448	283967 272850
7	कानपुर मण्डल				
	अधीक्षण अभियन्ता द्वितीय द्वितीय मण्डल, सिंचाई कार्य कानपुर	कानपुर नगर 0512	1– अधिशासी अभियन्ता कानपुर निचली गंगा नगर, कानपुर।	2312652	2380698

क्र. सं.	मण्डल / नोडल अधिकारी	जनपद एस0टी0डी0 कोड संख्या	बाढ़ समन्वय अधिकारी	दूरभाष	
				कार्यालय	आवास
	कार्यालय 2380818 निवास 2383258				
		अकबरपुर कानपुर देहात 0511	2– अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड कानपुर।	2380336	2368523
		इटावा 05688	3– अधिशासी अभियन्ता इटावा खण्ड निचली गंगा नहर, इटावा	254927	254947
		फर्रूखाबाद 05692	4– अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई प्रखण्ड, फर्रूखाबाद	234655	
		औरैया 05683	5– अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड औरैया	283647	283524
		कन्नौज 05694	6– अधिशासी अभियन्ता नलकूप खण्ड कन्नौज	235197	235197
8	झाँसी मण्डल				
	अधीक्षण अभियन्ता चतुर्थ मण्डल सिंचाई कार्य झाँसी कार्यालय 2440582 निवास 2440582	झाँसी 0510	1– अधिशासी अभियन्ता झाँसी प्रखण्ड बेतवा नहर झाँसी	2440580	2471365
		ललितपुर 05176	2– अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड ललितपुर	276330	272451
		जालौन 05162	3– अधिशासी अभियन्ता बेतवा नहर, प्रखण्ड प्रथम, उरई	252432	252231
9	चित्रकूट धाम मण्डल				
	अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल बांदा। कार्यालय 286670	बांदा 05192	1– अधिशासी अभियन्ता, केन नहर खण्ड, बांदा	227790	220053

क्र. सं.	मण्डल / नोडल अधिकारी	जनपद एस0टी0डी0 कोड संख्या	बाढ़ समन्वय अधिकारी	दूरभाष	
				कार्यालय	आवास
	निवास 221960				
		हमीरपुर 05282	2– अधिशासी अभियन्ता, मौदहा बांध निर्माण खण्ड, हमीरपुर	222365	222365
		चित्रकूट 05198	3– अधिशासी अभियन्ता सिंचाई प्रखण्ड प्रथम कर्वी	233169	
		महोबा 05281	4– अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड महोबा	255084	244136
10	इलाहाबाद मण्डल				
	अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई कार्य मण्डल इलाहाबाद कार्यालय 2601660 निवास 2540843	इलाहाबाद 0532	1– अधिशासी अभियन्ता बाढ़ कार्य खण्ड इलाहाबाद	2640020	2611680
		फतेहपुर 05180	2– अधिशासी अभियन्ता निचली गंगा नहर खण्ड, फतेहपुर	224432	222978
		प्रतापगढ़ 05342	3– अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड प्रतापगढ़	220359	220477
		कौशाम्बी 05342	4– अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड कौशाम्बी		2501372
11	फैजाबाद मण्डल				
	अधीक्षण अभियन्ता एकादशम् मण्डल सिंचाई कार्य फैजाबाद कार्यालय 222875 निवास 222622	फैजाबाद 05278	1– अधिशासी अभियन्ता बाढ़ कार्य खण्ड फैजाबाद	222731	222870
		बाराबंकी 05248	2– अधिशासी अभियन्ता बाढ़ कार्य खण्ड, बाराबंकी	222844	222843

क्र. सं.	मण्डल / नोडल अधिकारी	जनपद एस0टी0डी0 कोड संख्या	बाढ़ समन्वय अधिकारी	दूरभाष	
				कार्यालय	आवास
		सुल्तानुपर 05362	3– अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड सुल्तानपुर	222328	
		अम्बेदकर नगर 05273	4– अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड टाण्डा, अम्बेडकर नगर	223745	223745
12	देवीपाटन मण्डल				
	अधीक्षण अभियन्ता ड्रेनेज मण्डल, गोण्डा कार्यालय 222733 निवास 231407	गोण्डा 05262	1– अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ कार्य खण्ड, गोण्डा	223745	223745
		बलरामपुर 05263	2– अधिशासी अभियन्ता, सरयू नहर खण्ड द्वितीय, बलरामपुर	232283	232283
		श्रावस्ती 05252	3– अधिशासी अभियन्ता, सरयू नहर खण्ड –6, बहराइच	232098	
		बहराइच 05252	4– अधिशासी अभियन्ता, सरयू नहर खण्ड –4, बहराइच	232649	
13	बस्ती मण्डल				
	अधीक्षण अभियन्ता गण्डक बाढ़ मण्डल बस्ती कार्यालय 284538 निवास 246537	बस्ती 05542	1– अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ कार्य खण्ड प्रथम बस्ती	283028	282424
		सिद्धार्थनगर 05544	2– अधिशासी अभियन्ता ड्रेनेज खण्ड, सिद्धार्थनगर	220730	222127
		संतकबीर नगर 05546	3– अधिशासी अभियन्ता ड्रेनेज खण्ड द्वितीय संतकबीर नगर	223278	223278

क्र. सं.	मण्डल / नोडल अधिकारी	जनपद एस0टी0डी0 कोड संख्या	बाढ़ समन्वय अधिकारी	दूरभाष	
				कार्यालय	आवास
14	गोरखपुर मण्डल				
	अधीक्षण अभियन्ता गण्डक बाढ़ मण्डल गोरखुपर कार्यालय 2200816 निवास 2200067	गोरखपुर 0551	1– अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ खण्ड, गोरखुपर	2320784	2201622
		महाराजगंज 05523	2– अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड द्वितीय महाराजगंज	222138	222134
		देवरिया 05568	3– अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ कार्य खण्ड, देवरिया	222379	241577
		कुशीनगर 05564	अधिशासी अभियन्ता बाढ़ खण्ड कुशीनगर	245149	245162
15	आज़मगढ़ मण्डल				
	अधीक्षण अभियन्ता चतुर्थ दशम् मण्डल सिंचाई कार्य आज़मगढ़ कार्यालय 243896 निवास 243184	आज़मगढ़ 05462	1– अधिशासी अभियन्ता बाढ़ खण्ड आज़मगढ़	221026	243186
		मऊ 0547	2– अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड मऊ	222070	250003
		बलिया 05498	3– अधिशासी अभियन्ता बाढ़ खण्ड प्रथम बलिया	220703	220204
16	वाराणसी मण्डल				
	अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई कार्य मण्डल वाराणसी कार्यालय 2221584 निवास 2221568	वाराणसी 0542	1– अधिशासी अभियन्ता बन्धी प्रखण्ड वाराणसी		2224331
		गाजीपुर 0548	2– अधिशासी अभियन्ता देवकली	2230401	2230401

क्र. सं.	मण्डल / नोडल अधिकारी	जनपद एस0टी0डी0 कोड संख्या	बाढ़ समन्वय अधिकारी	दूरभाष	
				कार्यालय	आवास
			पम्प नहर खण्ड गाजीपुर		
		चन्दौली 05412	3– अधिशासी अभियन्ता चन्द्रप्रभा प्रखण्ड मुगलसराय चन्दौली	257719	
		जौनपुर 05452	4– अधिशासी अभियन्ता शारदा सहायक खण्ड 36, जौनपुर	260247	260197
17	मिर्जापुर मण्डल				
	अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई कार्य मण्डल मिर्जापुर कार्यालय 252220 निवास 252239	मिर्जापुर 05442	1– अधिशासी अभियन्ता, मिर्जापुर नहर प्रखण्ड मिर्जापुर	252589	252329
		सोनभद्र 05444	2– अधिशासी अभियन्ता बन्धी प्रखण्ड द्वितीय राबर्ट्सगंज	222048	222098
		संतरविदास नगर (भदोही) 05414	3– अधिशासी अभियन्ता ज्ञानपुर नहर प्रखण्ड, भदोही	226023	

नोटः– उपरोक्त अंकित दूरभाष नं0 वर्तमान जानकार सूत्रों के आधार पर है। इनमें समय–समय पर परिवर्तन सम्भावित है।

वर्ष 2008 में अधिष्ठापित किये जाने वाले बाढ़ बेतार केन्द्रों की सूची

क्र0सं0	बेतार केन्द्र का नाम	भवन/कक्ष	जनपद
1.	केन्द्रीय बाढ़ नियन्त्रण कक्ष	सिंचाई भवन एनेक्सी, कक्ष सं0–6	लखनऊ
2.	यमुना बैराज	ताजेवाला स्थल कार्यालय	सहारनपुर
3.	कामा रगुलेटर	साइट आफिस	मथुरा
4.	आगरा (गुड़ की मण्डी)	गुड़ की मण्डी कार्यालय	आगरा
5.	माताटीला डैम	स्थल कार्यालय	झांसी
6.	राजघाट डैम	स्थल कार्यालय	ललितपुर
7.	देवगढ़ डैम	कैम्प आफिस	ललितपुर
8.	खड्डा	नहर कालोनी, निरीक्षण भवन	पडरौना
9.	शारदा सागर डैम	कैम्प आफिस	पीलीभीत
10.	नौगढ़ डैम	डैम साइड	वाराणसी
11.	तुर्तीपार श्रीनगर बांध	चांदपुर स्थल कार्यालय	बलिया
12.	बंजरहा	कार्यस्थल बंजरहा	बस्ती/ सिद्धार्थनगर
13.	अहिरौरा बांध	बांध स्थल कार्यालय	मिर्जापुर
14.	चन्द्रप्रभा बांध	बांध स्थल कार्यालय	वाराणसी
15.	मूसाखण्ड बांध	बांध स्थल कार्यालय	वाराणसी
16.	वाराणसी	सिंगरा कालोनी	वाराणसी
17.	लतीफशाह वियर	वीयर स्थल कार्यालय	वाराणसी
18.	हुसैनपुर वियर	वीयर स्थल कार्यालय	मिर्जापुर
19.	मुजफ्फरपुर वियर	वीयर स्थल कार्यालय	वाराणसी
20.	पिपरी	कार्यस्थल पिपरी	सोनभद्र
21.	जामनी बांध	बांध स्थल कार्यालय	ललितपुर
22.	डोंगरी बांध	बांध स्थल कार्यालय	झांसी
23.	विक्रमजोत धुसवां बांध	डैम स्थल	बस्ती
24.	मध्यगंगा बैराज (रेवली घाट)	रेवली घाट स्थल	बिजनौर
25.	ओखला बैराज	ओखला कालोनी कार्यालय	गौतमबुद्धनगर
26.	गंगा बैराज	नरौरा साइट आफिस	बुलन्दशहर
27.	मध्यगंगा बाक्सर हेड रेगुलेटर	बाक्सर स्थल कार्यालय	गाजियाबाद
28.	ककरही गोनहा बांध	ककरही गोनहा बांध के कि0मी0 0.00 पर	सिद्धार्थनगर
29.	करमैनी बिलौली बांध	करमैनी कार्यस्थल	सिद्धार्थनगर /संतकबीरनगर
30.	सरयू बैराज	बैराज कार्यस्थल	बहराइच
31.	शहजाद बांध	बांध कार्यस्थल	ललितपुर
32.	शारदा बैराज (शारदा नहर)	शारदा नहर कालोनी	लखीमपुर
33.	मेजा डैम	कार्यस्थल आफिस	मिर्जापुर
34.	धनरौल डैम	कार्यस्थल आफिस	मिर्जापुर
35.	सजनम डैम	कार्यस्थल आफिस	ललितपुर
36.	रोहिणी डैम	कार्यस्थल आफिस	ललितपुर

37.	चन्दौली	कार्यस्थल आफिस	वाराणसी
38.	सिरसी बांध	कार्यस्थल आफिस	मिर्जापुर
39.	पीली बांध	निरीक्षण भवन	बिजनौर
40.	सपरार	कार्यस्थल आफिस	झांसी
41.	लहचुरा	कार्यस्थल आफिस	झांसी
42.	पहुंच	कार्यस्थल आफिस	झांसी
43.	रिहन्द	कार्यस्थल आफिस	मिर्जापुर
44.	नगवा	कार्यस्थल आफिस	मिर्जापुर
45.	अदवा	कार्यस्थल आफिस	मिर्जापुर
46.	अर्जुन	कार्यस्थल आफिस	महोबा
47.	चन्द्रावल	कार्यस्थल आफिस	महोबा
48.	बरवा	कार्यस्थल आफिस	चित्रकूट
49.	ओहन	कार्यस्थल आफिस	चित्रकूट
50.	चित्तौड़गढ़	कार्यस्थल आफिस	बलरामपुर
51.	रनगवां वियर	कार्यस्थल आफिस	बांदा
52.	गंगऊ वियर	कार्यस्थल आफिस	बांदा
53.	बरियारपुर वियर	कार्यस्थल आफिस	बांदा
54.	कबरई बांध	कार्यस्थल आफिस	महोबा
55.	पनगरा वाई फरकेशन	कार्यस्थल आफिस	बांदा
56.	झांसी बेतवा भवन प्रांगण	कार्यस्थल आफिस	बांदा
57.	ढुकवा बांध	कार्यस्थल आफिस	झांसी
58.	पारीक्षा बांध	कार्यस्थल आफिस	झांसी
59.	मौदहा बांध	कार्यस्थल आफिस	बांदा
60.	उर्मिल बांध	कार्यस्थल आफिस	महोबा
61.	राप्ती बैराज/लक्ष्मणपुर	कार्यस्थल आफिस	श्रावस्ती
62.	ग्राम हजारा	ग्राम स्थल कार्यालय	पीलीभीत
63.	बढ़या कोठा बांध	बढ़याकोठा बांध के कि0मी0 13.50 पर ग्राम मीरपुर के पास	गोरखपुर
64.	गढ़मुक्तेश्वर, हसनपुर बांध	बांध के कि0मी0 5.20 पर स्थित दयावती स्टोर पर	मुरादाबाद
65.	हसनपुर बांध	बांध के कि0मी0 17.80 पर स्थित मेहरपुर स्टोर पर	मुरादाबाद
66.	अमरौहा हसनपुर बांध	बांध के तिगरी स्टोर पर	मुरादाबाद
67.	सिंचाई खण्ड, ललितपुर	ललितपुर के कैम्प कार्यालय	ललितपुर
68.	शाहजाद बांध खण्ड, ललितपुर	माताटीला कैम्पस झांसी के कार्यालय में	झांसी
69.	रेवली आदमपुर बांध	ग्राम उपदी स्थल कार्यालय	बहराइच
70.	बेलसर रिगौली बांध	कार्यालय आफिस	गोरखपुर
71.	ए0पी0 बांध	कार्यालय आफिस	कुशीनगर
72.	पिपरासी बांध	कार्यालय आफिस	कुशीनगर
73.	अमवाखास बांध	कार्यालय आफिस	कुशीनगर
74.	बांसी डमुरियागंज बांध	कार्यालय आफिस	सिद्धार्थनगर
75.	रामपुर मकदूमपुर बांध	कार्यालय आफिस	संतकबीरनगर
76.	अयासेध्या बिल्वहरि घाट बांध	कार्यालय आफिस	फैजाबाद

77.	रौनाही बांध	कार्यालय आफिस	फैजाबाद
78.	महुला मढ़वल बांध	कार्यालय आफिस	आजमगढ़
79.	तुर्तीतार चुरिया बांध भागलपुर	कार्यालय आफिस	देवरिया
80.	पिड़रा घाट	कार्यालय आफिस	देवरिया
81.	पहाड़ी बांध	कार्यस्थल	झांसी
82.	वजीरगंज	कार्यालय आफिस	लखनऊ
83.	घसियारी मण्डी	कार्यालय आफिस	लखनऊ
84.	गऊघाट	कार्यालय आफिस	लखनऊ
85.	गोमती बैराज	कार्यालय आफिस	लखनऊ
86.	हनुमान सेतु	कार्यालय आफिस	लखनऊ
87.	गोविन्द सागर बांध	कार्यस्थल	ललितपुर
88.	चन्दनपुर हुसैनपुर	कार्यस्थल पिपरौल स्टोर	बदायूं
89.	उसहैत एवं उसांवा तटबंध	कार्यस्थल दातागंज	बदायूं
90.	गंगा महावा तटबंध	कार्यस्थल माल स्टोर	बदायूं
91.	जाखलौन पम्प नहर के हेड	कैम्प आफिस	ललितपुर
92.	सिंचाई निर्माण खण्ड प्रथम	कार्यालय आफिस	ललितपुर

संख्या–1371/एफ/87/23 सिं–6/40 बाढ़/87

प्रेषक,

श्री ए0के0 दास,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

दिनांक लखनऊ 21 अप्रैल, 1987

विषयः उत्तर प्रदेश में बाढ़ क्षेत्रों के अनुश्रवण हेतु प्रत्येक जिले में स्टीयरिंग ग्रुप का गठन।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर शासनादेश संख्या–443/एफ/85/23सिं–6/40 बाढ़/85, दिनांक 13 मई, 1985 के तारतम्य में यह अवगत कराना है कि वर्ष 1987 की बाढ़ से निपटने के लिए शासन ने गत वर्ष की भॉति प्रत्येक जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक ''स्टीयरिंग ग्रुप'' के गठन का निर्णय लिया है। सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियन्ता एवं बाढ़ समन्वय अधिकारी इसके सदस्य, सदस्य/सचिव के रूप में कार्य करेंगे।

2– इस समिति के निम्नलिखित पदाधिकारी होंगेः–

1.	जिलाधिकारी	–	अध्यक्ष
2.	पुलिस अधीक्षक	–	सदस्य
3.	जिला बाढ़ राहत अधिकारी	–	सदस्य
4.	जिला कृषि अधिकारी	–	सदस्य
5.	जिलापूर्ति अधिकारी	–	सदस्य
6.	अधिशासी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग	–	सदस्य
7.	वरिष्ठ अधिशासी अभियन्ता राज्य विद्युत परिषद	–	सदस्य
8.	अधिशासी अभियन्ता एवं बाढ़ समन्वय अधिकारी, सिंचाई विभाग	–	सदस्य
9.	अधिशासी अभियन्ता, जल निगम	–	सदस्य

3– इस स्टीयरिंग ग्रुप के निम्न कार्य होंगेः–

1. जनपद में बाढ़ के समय बाढ़ की स्थिति की समीक्षा करके आवश्यक प्रबन्ध एवं कार्यवाही करना।
2. बाढ़ निरोधक कार्यो पर बाढ़ के समय आवश्यक सामग्री कार्यस्थल पर पहुॅचाने हेतु साधन उपलब्ध कराना।
3. बाढ़ निरोधक कार्यो के क्षतिग्रस्त स्थल पर मरम्मत के लिए मजदूर एवं अन्य आवश्यक व्यवस्था करना।
4. बाढ़ निरोधक कार्यो की सुरक्षार्थ आवश्यकता पड़ने पर पी0ए0सी0, पुलिस या होमगार्डस द्वारा पेट्रोलिंग का प्रबन्ध करना।

5. शहरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ निरोधक कार्यो के क्षतिग्रस्त स्थलों पर जहाँ रात्रि में भी कार्य करने की आवश्यकता हो, वहाँ बिजली का उचित प्रबन्ध करना।
6. जलमग्न क्षेत्र में पानी को निकालने के लिए पम्पों, डीजल और बिजली इत्यादि की समुचित व्यवस्था करना।
7. राहत कार्यो से सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं से समन्वय का कार्य।
8. बाढ़ से सम्बन्धित अन्य कार्य।

4— इस समिति को यह भी अधिकारी होगा कि वह अपनी सुविधा हेतु किसी अन्य व्यक्ति को सदस्य नामांकित कर ले।

5— अतएव मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया इस समिति की एक बैठक अविलम्ब बुलाकर प्रारम्भिक सुरक्षात्मक कार्यवाही करने हेतु समुचित उचित व्यवस्था करें तथा कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराया जाये।

6— यह शासनादेश अगले आदेशों तक प्रभावी रहेगा।

भवदीय,
ह0
ए0के0 दास
सचिव

संख्या : संख्या—1371/एफ/87/23 सिं—6—40—बाढ़/87, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।
3. सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।
4. सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।
5. सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।
6. सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।
7. सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।
8. सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।
9. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उ0प्र0 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया अपने अधीनस्थ अधिकारियों को सूचित निर्देश इस सम्बन्ध में जारी कर दें।

आज्ञा से,
ह0
ए0के0 दास
सचिव

संख्या : संख्या—1371/एफ/87/23 सिं—6—40—बाढ़/87, तद्दिनांक।

उपरोक्त की प्रतिलिपि समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0 को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
ह0
ए0के0 दास
सचिव

सिंचाई विभाग : बाढ़ आदेश संख्या –3

बाढ़ आदेश संख्या –1 एवं बाढ़ आदेश संख्या –2 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें। इन्हीं आदेशों के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न स्तरों पर आहूत बैठकों में यह निर्णय लिया गया है कि बाढ़ काल के दौरान बाढ़ सुरक्षा हेतु स्थानीय व्यक्तियों की भी सहभागिता प्राप्त की जाये, जिसके लिये बाढ़ सुरक्षा समितियों के गठन का प्रस्ताव बनाया गया है, जिसके अन्तर्गत यह प्रावधान रखा गया है कि अवर अभियन्ता के कार्यक्षेत्र में पड़ने वाले बाँधों के समीपस्थ ग्रामवासियों की सुरक्षा समितियां सम्बन्धित अवर अभियन्ता की अध्यक्षता में गठित की जायेगी। उक्त आदेशों के परिप्रेक्ष्य में बाढ़ सुरक्षा समितियों के ढ़ांचे का गठन एवं दायित्वों का निर्धारण किया गया है, जिसकी प्रति आपको इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि इसका प्रसारण अवर अभियन्ताओं के स्तर तक तथा उनके द्वारा उनके कार्य क्षेत्र में पड़ने वाले ग्रामीणों तक करा दिया जाये और समिति के ढ़ांचे के उल्लिखित व्यक्तियों के साथ बाढ़ सुरक्षा समिति का गठन कर दिया जाय जिसकी सूचना समस्त जिलाधिकारियों एवं आयुक्त, राजस्व मण्डलों को भी प्रेषित कर दी जाये और 15 जून, 2008 से इनका क्रियान्वयन प्रारम्भ करा दिया जाये।

बाढ़ सुरक्षा समिति :

पूर्व वर्षो में आई प्रलयकारी बाढ़ के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2008 में बाढ़ काल में तटबंधों तथा किनारे पर बसे ग्रामीणों की सुरक्षा हेतु क्षेत्रीय स्तर पर ग्रामवार बाढ़ सुरक्षा समितियों का गठन किया जायेगा।

2.0 समिति का ढ़ांचा :

प्रत्येक बाढ़ सुरक्षा समिति का गठन बांध के समरेखन में पड़ने वाले ग्रामवासियों के सहभागिता लेते हुए निम्न प्रकार किया जायेगा।

1.	सम्बन्धित कार्यक्षेत्र का अवर अभियन्ता	पदेन अध्यक्ष
2.	ग्राम प्रधान	सह अध्यक्ष एवं समन्वयक
3.	ग्राम उपप्रधान/हारा हुआ प्रधान	सदस्य
4.	ग्राम विकास अधिकारी	सदस्य
5.	युवक मंगल दल का प्रतिनिधि	सदस्य
6.	महिला मण्डल की अध्यक्ष/प्रतिनिधि	सदस्य
7.	लेखपाल	सदस्य
8.	ग्राम चौकीदार/होमगार्ड/थाने का कर्मचारी	सदस्य
9.	स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधि	सदस्य
10.	बहुउद्देशीय कर्मी	सदस्य

एक बाढ़ सुरक्षा समिति में स्थानीय स्थिति के अनुसार कई ग्रामों के लोग सम्मिलित किये जा सकते हैं।

3.0 समिति का गठन :

बाढ़ सुरक्षा समितियों का गठन संबन्धित अवर अभियन्ता द्वारा ग्राम प्रधान तथा लेखपाल के सहयोग से विलम्ब 15 जून तक करके उसका पूरा विवरण सिंचाई विभाग के उच्चाधिकारियों, राजस्व विभाग के उच्च अधिकारियों, थाना तथा स्थानीय जन प्रतिनिधियों को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

समिति के गठन के समय ही प्रत्येक बाढ़ सुरक्षा समिति के कार्यक्षेत्र का निर्धारण भी कर लिया जायेगा। समिति के गठन का विवरण एक रजिस्टर में रि लिया जायेगा जो समिति के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के पास उपलब्ध रहेगी।

4.0 समिति के दायित्व :

समिति के सदस्य एवं स्वयं सेवी संस्था की तरह सामूहिक रूप से बाढ़ काल में बांधों को नियमित गश्त करेंगें। इसके लिए टोलियां बनाकर दिन–रात बांधों की देख–रेख सुनिश्चित की जायेगी। इन टोलियों का विवरण अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पास रखे रजिस्टर में अंकित होगा।

यदि सुरक्षा समिति द्वारा बांधों के निरीक्षण के समय किसी प्रकार के क्षति का आभास किया जाता है अथवा कोई आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होती है तो इसकी विस्तृत जानकारी तुरन्त समिति के अध्यक्ष को दी जायेगी। अध्यक्ष यह सूचना प्राप्त होते ही स्थल का निरीक्षण करके अपने विवेकानुसार स्थिति को नियंत्रित करने की कार्यवाही करेगें। इस व्यवस्था में समिति के पदाधिकारी आवश्यकतानुसार मजदूरों आदि की व्यवस्था करने में अध्यक्ष को अपेक्षित सहयोग प्रदान करेंगे।

समिति के सदस्यों अथवा गश्त कर रही टोलियों के संज्ञान में किसी अवांछनीय तत्व अथवा अन्य व्यक्ति द्वारा बांध को काटने या किसी प्रकार से क्षति पहुंचाने का प्रयास करने की बात आये, तो समिति/टोलियों द्वारा अपने स्तर से उसे रोकने का प्रयास किया जायेगा तथा आवश्यकता पड़ने पर ऐसे तत्वों को पुलिस के संरक्षण में सुपुर्द कर दिया जायेगा।

बाढ़ सुरक्षा समिति का प्रत्येक कार्य कलाप समिति के रजिस्टर से सहअध्यक्ष/ अध्यक्ष द्वारा नियमित रूप से अंकित किया जायेगा तथा बाढ़ काल समाप्ति पर इस रजिस्टर को अध्यक्ष को अभिलेखों में रखने हेतु सौंप दिया जायेगा।

बाढ़ के सम्बन्ध में जिला प्रशासन की चेक लिस्ट

क्र0सं0	विषय	हाँ / नहीं	टिप्पणी
बाढ़ का आकलन			
1.	क्या बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का आकलन कर लिया गया है?		
2.	क्या बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की पूर्व आपदा सम्बन्धी विशिष्टताओं के साथ सूची संलग्न है?		
3.	कितनी आबादी / बसावट / ग्राम खतरे में आ सकते हैं, क्या उन्हें चिन्हित कर लिया गया है?		
4.	क्या इसकी सूची बना ली गयी है और सम्बन्धित को अलर्टनेस हेतु जानकारी दे दी गयी है।		
आपदा प्रबन्ध योजना			
5.	चिन्हित आबादी हेतु क्या आपदा प्रबन्ध योजना बना ली गयी है?		
6.	क्या आपदा प्रबन्ध योजना बनाने में क्षेत्रीय लोगों तथा बाढ़ एवं राहत कार्य से जुड़े लाइन डिपार्टमेन्ट की सहभागिता ली गयी है?		
7.	क्या उक्त योजना की जनता को जानकारी है?		
स्टैन्डर्ड आपरेटिंग प्रोसीजर			
8.	आपदा प्रबन्धन योजना के सम्बन्ध में जिला, तहसील, ब्लाक स्तर पर कौन सा विभाग, उसके अधिकारी, कर्मचारी क्या काम करेंगे (स्टैन्डर्ड आपरेटिंग प्रोसीजर) नियत कर लिया गया है?		
9.	क्या विभागवार एस0ओ0पी0 की प्रति कर्तव्य एवं दायित्वों के साथ सम्बन्धित विभागों को उपलब्ध करा दी गयी है?		
मॉक ड्रिल			
10.	क्या अतिसंवेदनशील चिन्हित क्षेत्र में आपदा प्रबन्ध योजना के अनुरूप बाढ़ से पूर्व बाढ़ से रक्षा हेतु मॉक ड्रिल करायी गयी है?		
बाढ़ पूर्व संवेदनशील अधिसंरचना का सुदृढ़ीकरण			
11.	क्या बाढ़ से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों के बन्धे / तटबंध आदि का अनुरक्षण सम्बन्धित विभाग ने मानसून से पूर्व कर लिया है?		

12.	बाढ़ के समय अत्यधिक जल प्रवाह/जल दबाव के कारण बन्धे/तटबंध के कमजोर होने की स्थिति में सिंचाई विभाग द्वारा क्या उसको ठीक करने हेतु आवश्यक रणनीति बना ली गयी है तथा क्या इस निमित्त संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली गयी है।		
13.	क्या मानसून आने से पूर्व नगरीय क्षेत्रों में नाली–नालों की सफाई कर ली गयी है? क्या जल भराव आदि की दशा में जल निकासी हेतु आवश्यक पम्प आदि की व्यवस्था कर ली गयी है?		

राहत व्यवस्था एवं राहत शिवर

14.	क्या राहत शिविरों का चिन्हांकन कर लिया गया है एवं जनता को इसके बारे में बता दिया गया है?		
15.	क्या राहत शिविरों को चलाये जाने की दशा में समस्त आवश्यक संसाधन की त्वरित उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु व्यापक कार्ययोजना बना ली गयी है? क्या जिला प्रशासन इसके तत्काल कार्यान्वयन में सक्षम है?		
16.	जन प्रतिनिधियों तथा शैक्षिक संस्थाओं को राहत कार्य में सम्मिलित किये जाने सम्बन्धी क्या कार्य दल बना लिया गया है?		
17.	जल मग्न ग्राम के निवासी जो किसी भी दशा में घर छोड़ने को तैयार नहीं हैं, क्या उनके लिये राहत की व्यवस्था सम्बन्धी योजना बना ली गयी है?		
18.	क्या राहत वितरण की पारदर्शी व्यवस्था हेतु जनप्रतिनिधि, मीडिया को सम्मिलित कर लिया गया है?		
19.	क्या राहत शिविर हेतु औषधि, टीकाकरण आदि की व्यवस्था कर ली गयी है?		

मोबाइल चिकित्सीय दल

20.	क्या जलमग्न क्षेत्रों में मोबाइल चिकित्सीय दल तथा खोज एवं बचाव दल के संचरण की व्यवस्था (नाव आदि) तथा दलों का गठन कर लिया गया है तथा क्या मोटे तौर पर दलों को क्षेत्र आवंटित कर दिये गये हैं?		

नाव की व्यवस्था

21.	क्या बाढ़ बचाव हेतु नावों की व्यवस्था कर ली		

	गयी है?		
22.	क्या मल्लाहों की सूची तैयार कर ली गयी है तथा उनकी सेवायें लेने हेतु मल्लाहों को जानकारी दे दी गयी है?		
23.	क्या नाव की कम उपलब्धता होने की दशा में आस–पास के जनपदों के जिलाधिकारियों के समन्वय से अतिरिक्त नावों की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु आवश्यक रणनीति तैयार कर ली गयी है?		

महामारी

24.	क्या जनपद स्तर पर बाढ़ के दौरान तथा बाढ़ के उपरान्त फैलने वाली बीमारी/महामारी के रोकथाम हेतु प्रचुर मात्रा में टीके/औषधियों/प्राथमिक चिकित्सा दल की व्यवस्था कर ली गयी है?		
25.	क्या बाढ़ के कारण दूषित पेयजल स्रोतों के विसंक्रमण की कार्यवाही हेतु आवश्यक रणनीति तय कर ली गयी है?		
26.	क्या बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से पशुओं के संचरण, पशु शिविर, चारे, औषधि, टीकाकरण की व्यवस्था कर ली गयी है?		
27.	क्या आवश्यकता पड़ने पर वैकल्पिक पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु रणनीति बना ली गयी है?		

बाढ़ राहत सामग्री का प्रक्योरमेन्ट

28.	बाढ़ के दौरान प्रयुक्त होने वाले भोज्य पदार्थों, खोज एवं बचाव सम्बन्धी उपकरणों, राहत शिविर सम्बन्धी व्यवस्थाओं में लगने वाले सामान जिनकी दरें राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा नियत नहीं हैं उनके प्रक्योरमेन्ट हेतु क्या पूर्व से दरें भण्डार क्रय नियम के अनुरूप नियत करने सम्बन्धी कार्यवाही कर ली गयी है?		

आपदा नियन्त्रण केन्द्र

29.	क्या बाढ़ राहत कार्यों के लिये जनपद स्तर पर प्रत्येक विभाग ने अपना नोडल अधिकारी नामित कर दिया है, उसका नाम, पता व दूरभाष नम्बर आदि जनपदीय आपदा नियंत्रण कक्ष में उपलब्ध है?		
30.	क्या बाढ़ सम्बन्धी पूर्व चेतावनी को प्रभावित क्षेत्र में व्यापक प्रसार हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थाएं		

	कर ली गयी हैं?		
31.	क्या आपदा सहायता सम्बन्धी टॉल फ्री नम्बर 1077 आपदा नियंत्रण कक्ष में स्थापित है।		

दैनिक वर्षा की सूचना

32.	क्या प्रत्येक तहसील व जनपद मुख्यालय पर रेनगेज द्वारा वर्षा का मापांकन हो रहा है एवं इसकी सूचना मौसम विभाग को नियत समय पर दी जा रही है।		
33.	क्या वर्षा की सूचना की राजस्व विभाग की वेबसाइट पर प्रविष्टि की जा रही है?		

इमरजेन्सी समोर्ट फंक्शन

34.	क्या जनपद के इमरजेन्सी सपोर्ट फंक्शन को तैयार कर लिया गया है?		

सूचनाओं का संप्रेषण

35.	क्या बाढ़ के दौरान हुई क्षति/राहत का ब्यौरा प्रतिदिन आपदा नियंत्रण कक्ष को भेजा जा रहा है?		
36.	क्या राहत का ब्यौरा प्रिन्ट एवं दृश्य मीडिया को भी उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि भ्रामक समाचार यथा सम्भव प्रकाशित न हो सकें?		

FLOOD RELATED PROVISION IN REVISED LIST OF ITEMS AND NORMS OF ASSISTANCE FROM CALAMITY RELIEF FUND (CRF) AND NATIONAL CALAMITY CONTINGENCY FUND (NCCF) FOR THE PERIOD 2005-10 (MHA LETTER NO. 32-34/2007-NDM-I DATED THE 27th JUNE, 2007)

S.N.	ITEM	NORMS OF ASSISTANCE
1-	**GRATUITOUS RELIEF**	
	(a) Ex-Gratia payment to the families of deceased persons	**Rs. 1.00 lakh per deceased** ➢ It would be necessary to obtain a Certificate of cause of death issued by an appropriate authority designated by the State Government certifying that the death has occurred due to a natural calamity notified by the Ministry of Finance in the Scheme of CRF/NCCF. ➢ In the case of a Government employee / relief worker who loses his/her life, while engaged in rescue and relief operations, in the aftermath of a notified natural calamity or during preparedness activities like mock drills etc., his/her family would be paid ex- gratia @ Rs.1.00 lakh per deceased. ➢ In the case of an Indian citizen who loses his life due to a notified natural calamity in a foreign country, his family would not be paid this relief. ➢ Similarly, in the case of a Foreign citizen who loses his life due to a notified natural calamity within the territory of India, his family would also not be paid this relief.
	(b) Ex-Gratia payment for loss of a limb or eyes.	(i) **Rs. 35,000/- per person** (when the disability is between 40% and 75% duly certified by a Government doctor or doctor from a panel approved by the Government). (ii) **Rs. 50,000/- per person** (when the disability is more than 75% duly certified by a Government doctor or doctor from a panel approved by the Government).
	(c) Grievous injury requiring hospitalization	➢ **Rs. 7,500 per person** (grievous injury requiring hospitalization for more than a week). ➢ (ii) **Rs.2,500/- per person** (grievous injury requiring hospitalization for less than a week).
	(d) Relief for the old, infirm and destitute children.	➢ **Rs. 20/- per adult**, and **Rs. 15/- per child** per day.
	(e) Clothing and utensils/ house-hold goods for families whose houses have been washed away/ fully damaged/severely inundated for more than a week due to a natural calamity.	➢ **Rs. 1000/-** for loss of clothing per family **and Rs.1000/-** for loss of utensils / household goods per family.
	(f) Gratuitous relief for families in dire need of immediate sustenance after a calamity.GR should only be given to those who have no food reserve, or whose food reserves have been wiped out in a calamity, and who have no other immediate means of support.	➢ **Rs. 20/- per adult, and Rs. 15/- per child per day**.
		<u>Period for providing gratuitous relief</u>
		(i) *Natural Calamities other than drought and pest attack (locust and rodent menace only)* ➢ Upto a maximum period of 15 days. ➢ In the case of above mentioned notified natural calamities of a severe nature, relief can be provided upto 30 days with the approval of State Level Committee for assistance to be

		provided under CRF and as per the assessment of the Central Team for assistance to be provided under NCCF. **ii) Drought/ pest attack (locust and rodent menace only).** ➢ The maximum period for which the relief can be provided is upto 60 days and in case of severe drought/pest attack upto 90 days. ➢ In case the drought/pest attack situation persists beyond 90 days, the State Level Committee shall, after a detailed review, decide the further period for which relief can be provided from CRF, on a month to month basis, coterminus with the actual period of prevailing situation.
2.	Supplementary Nutrition.	**Rs.2.00 per head per day, as per ICDS norms.** **<u>Period for providing relief</u>** **(i) Natural Calamities other than drought and pest attack (locust and rodent menace only).** ➢ Upto a maximum period of 30 days with the approval of State Level Committee for assistance from CRF and as per the assessment of the Central Team for assistance from NCCF. **(ii) Drought/ pest attack (locust and rodent menace only).** ➢ The maximum period for which the relief can be provided is upto 60 days. ➢ In case of drought pest attack (locust and rodent menace only) of a severe nature, the period for provision of relief may be extended upto a maximum period of 90 days with the approval of State Level Committee for assistance to be provided under CRF and as per the assessment of the Central Team for assistance to be provided under NCCF.
3.	**Assistance to small and marginal farmers for:-**	
	a) Desilting of agricultural land	➢ **Rs. 6000/- per hectare:**- (where thickness of sand/silt deposit is more than 3", to be certified by the competent authority of the State Government.)
	b) Removal of debris on agricultural land in hilly areas	➢ **Rs. 6,000/- per hectare**
	c) Desilting/ Restoration/ Repair of fish farms	➢ **Rs. 6,000/- her hectar**e (Subject to the condition that no other assistance/subsidy has been availed of by/ is eligible to the beneficiary under any other Government Scheme)
	(d) Loss of substantial portion of land caused by landslide, avalanche, change of course of rivers.	➢ **Rs.15,000/- per hectare** (Assistance will be given to only those small and marginal farmers whose ownership of the land lost is legitimate as per the revenue records).
	(e) **Agriculture input subsidy where crop loss was 50% and above.**	
	(i) For agriculture crops, horticulture crops and annual plantation crops	➢ **Rs. 2000/- per hectare** in rainfed areas ➢ **Rs. 4,000/- per hectare** for areas under assured irrigation. *(a) No input subsidy will be payable for agricultural land remaining unown or fallow.* (b) *Assistance payable to any small farmer with tiny holding may not be less than Rs.250.*
	(ii) Perennial crops	➢ **Rs 6,000 per hectare** for all types of perennial crops. *(a) No input subsidy will be payable for agricultural land remaining unsown or fallow.* (b) Assistance payable to any small farmer with tiny holding may

		not be less than Rs. 500/-
4.	**Input subsidy to farmers other than small & marginal farmers**	*Assistance may be provided where crop loss is 50% and above, subject to a ceiling of 1 ha .per farmer and upto 2 ha per farmer in case of successive calamities irrespective of the size of his holding being large, at the following rates :-* ➢ **Rs.2,000/- per hectare** in rainfed areas ➢ **Rs.4,000/- per hectare** for areas under assured irrigation. ➢ **Rs. 6,000 per hectare** for all types of perennial crops. o No input subsidy will be payable for agricultural land remaining unsown or fallow.
5.	**Assistance to Small & Marginal sericulture farmers**	➢ **Rs. 2000/- per ha.** for Eri, Mulberry and Tussar ➢ **Rs. 2500 per ha.** for Muga
6.	**Animal Husbandry :** **Assistance to small and marginal farmers/ agricultural labourers** (i) Replacement of draught animals, milch animals or animals used for haulage	**<u>Milch animal-</u>** i) Buffalo/ cow/camel / yak etc. @ **Rs. 10,000/-** ii) Sheep/Goat @ **Rs. 1000/-** **<u>Draught Animals:</u>** i) Camel/horse/ bullock, etc. @ **Rs. 10,000/-** ii) Calf, Donkey, and pony @ **Rs. 5000/-** ➢ The assistance may be restricted for the actual loss of economically productive animals and will be subject to a ceiling of 1 large milch animal or 4 small milch animals or 1 large draught animal or 2 small draught animals per household irrespective of whether a household has lost a larger number of animals. (The loss is to be certified by the Competent Authority designated by the State Government). **<u>Poultry:-</u>** ➢ Poultry @ 30/- per bird subject to a ceiling of assistance of Rs.300/- per beneficiary household. The death of the poultry birds should be on account of the notified natural calamity. ***Note :-*** Relief under these norms is not eligible if the assistance is available from any other Government Scheme, e.g. loss of birds due to Avian Influenza or any other diseases for which the Department of Animal Husbandry has a separate scheme for compensating the poultry owners.
	(ii) Provision of fodder / feed concentrate in the cattle camps	➢ Large animals- Rs. 20/ per day ➢ Small animals- Rs. 10/- per day **<u>Period for providing assistance</u>** **i) Notified Calamities other than drought** ➢ Upto a maximum period of 15 days. **(ii) <u>Drought</u>** ➢ Upto 60 days and in case of severe drought upto 90 days. ➢ In case the drought situation persists beyond 90 days, the State Level Committee shall, after a detailed review, decide the further period for which relief can be provided from NCCF, on a month to month basis, coterminus with the actual period of scarcity /onset of rains.
	(iii) Water supply in cattle camps	➢ To be assessed by the State Level Committee for assistance to be provided from CRF and by the Central Team for assistance to be provided from NCCF. **<u>Period for providing assistance</u>** ***i) Notified Calamities other than drought*** ➢ Upto a maximum period of 15 days. **(ii) <u>Drought</u>** ➢ Upto 60 days and in case of severe drought upto 90 days.

		➢ In case the drought persists beyond 90 days, the State Level Committee shall, after a detailed review, decide the further period for which relief can be provided from CRF, on a month to month basis, co-terminus with the actual period of scarcity /onset of rains.
	(iv) Additional cost of medicines and vaccine (calamity related requirements)	➢ To be assessed by the State Level Committee for assistance to be provided from CRF and by the Central Team for assistance to be provided from NCCF.
	(v) Supply of fodder outside cattle camps	➢ Additional expenditure on transport of fodder from the approved fodder depot to neutralize calamity related price rise to be determined on a case-to-case basis by the State Level Committee for assistance to be provided under CRF and as per the assessment of Central Team for assistance to be provided under NCCF.
	(vi) Movement of useful cattle to other areas	➢ To be assessed by the State Level Committee for assistance to be provided from CRF and by the Central Team for assistance to be provided from NCCF.
7.	**Assistance to Fisherman** (a) for repair / replacement of boats, nets – damaged or lost -- Boat - -Dugout-Canoe -- Catamaran -- Nets (This assistance will not be provided if the beneficiary is eligible or has availed of any subsidy/assistance, for the instant calamity, under any other Government Scheme.)	➢ **Rs. 2,500/-** (for repair of partially damaged traditional crafts (all types) plus net) ➢ **Rs. 7500/-** (for replacement of fully damaged traditional crafts (all types) plus net) ▪ Such traditional crafts are to be registered with the State Government. ▪ Extent of damage (partial or full) to be determined/certified by a competent authority designated by the State Government.
	(b) Input subsidy for fish seed farm	**Rs. 4,000/- per Hectare** (This assistance will not be provided if the beneficiary is eligible for or has availed of any subsidy/assistance, for the instant calamity, under any other Government Scheme except the one time subsidy provided under the Scheme of Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, Ministry of Agriculture).
8.	**Assistance to artisans in handicrafts/handloom sectors by way of subsidy for repair/ replacement of damaged equipments.**	
	a) For Traditional Crafts (Handicrafts)	
	(i) For replacement of damaged tools/equipment	➢ **Rs. 2,000/-** per artisan ➢ Damage/ replacement to be duly certified by Competent Authority designated by the State Government.
	(ii) For loss of raw material/ goods in process/ finished goods	➢ **Rs. 2,000/-** per artisan ➢ Damage/ Loss to be certified by Competent Authority designated by the State Government.
	b) For Handloom Weavers	
	(i) Repair/ replacement of loom equipments and accessories	**<u>For repair of loom</u>** ➢ **Rs. 1000/-** per loom **<u>For replacement of looms</u>** ➢ **Rs. 2000/-** per loom ➢ Damage/ replacement to be certified by the competent authority designated by the Government.

	(ii) Purchase of yarn and other materials like dyes & chemicals and finished stocks.	➢ **Rs 2,000/-** per loom ➢ Damage/ replacement to be certified by the competent authority designated by the Government.
9.	**Assistance for repair/ restoration of damaged houses**	➢ The damaged house should be an authorized construction duly certified by the Competent Authority of the State Government. ➢ The extent of damage to the house is to be certified by a technical authority authorized by the State Government.
	(a) Fully damaged/ destroyed houses	
	(i) Pucca house	➢ **Rs. 25,000/- per house**
	(ii) Kutcha House	➢ **Rs.10,000/- per house**
	b) Severely damaged houses	
	(i) Pucca House	➢ **Rs. 5,000/- per house**
	(ii) Kutcha House	➢ **Rs. 2500/- per house**
	(c) **Partially Damaged Houses** - both pucca/kutcha (other than hut) (where the damage is minimum of 15 %)	➢ **Rs. 1500 /- per house**
	(d) Huts :<u>damaged / destroyed</u>	➢ **Rs. 2000/- per Hut** ➢ (Hut means- Temporary, make shift unit, inferior to Kutcha house, made of thatch, mud, plastic sheets etc. traditionally seen & recognized and known as Hut by the State/ District Authorities.)
10.	Provision of emergency supply of drinking water in rural areas and urban areas	o As assessed by the State Level Committee for assistance to be provided under CRF and as per the assessment of the Central Team for assistance to be provided under NCCF.
11.	Provision of medicines, disinfectants, insecticides for prevention of outbreak of epidemics	➢ As above
12.	Medical care for cattle and poultry against epidemics as a sequel to a notified natural calamity.	➢ As above
13.	Evacuation of people affected/ likely to be affected.	➢ As above
14.	Hiring of boats for carrying immediate relief & saving life	➢ As above o The quantum of assistance will be limited to the actual expenditure incurred on hiring boats and essential equipment required for rescuing stranded people and thereby saving human lives during a notified natural calamity.
15.	Provision for temporary accommodation, food, clothing, medical care etc. of people affected/ evacuated (operation of relief camps)	▪ As assessed by the State Level Committee for assistance to be provided under CRF and as per the assessment of the Central Team for assistance to be provided under NCCF. ▪ Quantum of assistance will be limited to the actual expenditure incurred, during the specified period. **<u>Period</u>** ➢ In case of natural calamities other than drought for a maximum period upto 15 days. ➢ In case of natural calamities other than drought of a severe nature for a maximum period upto 30 days.

		Drought ➢ In case of drought, the maximum period for which the relief can be provided is upto 60 days and in case of severe drought upto 90 days. ➢ In case the drought situation persists beyond 90 days, the State Level Committee shall, after a detailed review, decide the further period for which relief can be provided, on a month to month basis, co-terminus with the actual period of scarcity /onset of rains.
16.	**Repair/restoration of immediate nature of the damaged infrastructure in eligible sectors**: ➢ **(1) Roads & bridges (2) Drinking Water Supply Works, (3) Irrigation, (4) Power (only limited to immediate restoration of electricity supply in the affected areas), (5) Primary Education, (6) Primary Health Centres, (7) Community assets owned by Panchayats.** Sectors such as Telecommunication and Power (except immediate restoration of power supply), which generate their own revenues, and also undertake immediate repair/ restoration works from their own funds/resources, are excluded.	**Activities of immediate nature** ➢ An illustrative list of activities which may be considered as works of an immediate nature are given in the enclosed **Appendix**. **Time Period** ➢ The following time limits are indicated for undertaking works of immediate nature :- **For Plain areas** a) 30 days in case of calamity of normal magnitude. b) 45 days in case of calamity of severe magnitude. **For hilly areas and North Eastern States** a) 45 days in case of calamity of normal magnitude. b) 60 days in case of calamity of severe magnitude. **Assessment of requirements** On the basis of assessment made by the State Level Committee for assistance to be provided under CRF and on the basis of the assessment of the Central Team for assistance to be provided under NCCF.
17.	Operational cost (Of POL only) for Ambulance Service, Mobile Medical Teams and temporary dispensaries.	➢ As above ➢ The list of items, which fall under operational cost, will generally include:- ▪ Cost of putting up temporary medical camps/ temporary dispensaries. ▪ Hiring of ambulance vehicles. ▪ Hiring of transport vehicles for mobile medical teams only. ▪ Actual POL expenditure for ambulance and transport vehicles for mobile medical teams.
18.	Cost of clearance of debris	➢ As assessed by the State Level Committee for assistance to be provided under CRF and as per the assessment of the Central Team for assistance to be provided under NCCF. ➢ The quantum of relief will be limited to the actual expenditure incurred. ➢ Cost of clearance of debris includes removal of debris of stones, bricks, steel/iron which is restricted to inhabited areas only.
19.	Draining off flood water in affected areas	➢ As assessed by the State Level Committee for assistance to be provided under CRF and as per the assessment of the Central Team for assistance to be provided under NCCF. ➢ The quantum of relief will be limited to the actual expenditure incurred.
20.	Cost of search and rescue measures	➢ As assessed by the State Level Committee for assistance to be provided under CRF and as per the assessment of the Central Team for assistance to be provided under NCCF. ➢ The quantum of relief will be limited to the actual expenditure incurred on search and rescue operations within a period of two weeks of the notified natural calamity.

21.	Disposal of dead bodies/ carcasses	➢	On actual basis, as reported by the State Government or as recommended by the Central Team.
22.	**Landslides, cloudburst and avalanches.**	➢	The norms for various items will be the same as applicable to other notified natural calamities, as listed above.

Appendix
(to item No. 18)

Illustrative list of activities identified as of an immediate nature.

1. Drinking Water Supply:

I. Repair of damaged platforms of Hand pumps/Ring wells/Spring-tapped chambers/Public stand posts, cisterns.
II. Restoration of damaged stand posts including replacement of damaged pipe lengths with new pipe lengths, cleaning of clear water reservoir (to make it leak proof).
III. Repair of damaged pumping machines, leaking overhead reservoirs and water pumps including damaged intake – structures, approach gantries / jetties.

2. Roads

I. Filling up of breaches and potholes, use of pipe for creating waterways, repair and stone pitching of embankments.
II. Repair of breached culverts.
III. Providing diversions to the damaged/washed out portions of bridges to restore immediate connectivity.
IV. Temporary repair of approaches to bridges/embankments of bridges., repair of damaged railing bridges, repair of causeways to restore immediate connectivity, granular sub base, over damaged stretch of roads to restore traffic.

3. **Irrigation:**

I. Immediate repair of damaged canal structures and earthen/masonry works of tanks and small reservoirs with the use of cement, sand bags and stones.
II. Repair of weak areas such as piping or rat holes in dam walls/embankments.
III. Removal of vegetative material/building material/debris from canal and drainage system.

4. **Health**

Repair of damaged approach roads, buildings and electrical lines of PHCs / Community Health Centres.

5. Community assets of Panchayat

a. Repair of village internal roads
b. Removal of debris from drainage/sewerage lines
c. Repair of internal water supply lines
d. Repair of street lights
e. Temporary repair of primary schools, Panchayat ghars, community halls, anganwadi etc.

नागरिक सुरक्षा नगरों के उपनियंत्रक गण

क्र. सं.	नगर का नाम	उप नियंत्रण का नाम सर्वश्री	एस0टी0डी0	कार्यालय	आवास / मोबाइल
1	लखनऊ	एस0सी0 मिश्रा	0522	2627428	9415154388
2	कानपुर	डी0एन0 राम	0512	2312477	2650447 / 9415313063
3	गाजियाबाद	बृजपाल सिंह (प्रभारी)	0120	2713910	2787140 / 09868824458
4	मथुरा	जी0एस0 सिंह	0565	2407918	9450537155
5	आगरा	उमर कय्यूम	0562	2260550	9411049389
6	बरेली	यू0पी0 सिंह	0581	2457914	2428914 / 9897450383
7	गोरखपुर	वाई0पी0 चौबे (प्रभारी)	0551	2338939	2503922 / 9450881911
8	मुरादाबाद	जी0आर0 विद्यार्थी	0591	2414754	2455223 / 9319234446
9	झॉसी	अवधू प्रसाद	0510	2332469	9839500826
10	इलाहाबाद	एस0के0 सक्सेना	0532	2601623	2456551, 2456079 / 9415365518
11	वाराणसी	सुरेन्द्र मोहन त्रिपाठी	0542	2414765	9935347312
12	मेरठ	के0के0 श्रीवास्तव	0121	2664016	2649583 / 9412201133
13	सहारनपुर		0132	27225126	
14	नरौरा (बुलन्दशहर)	वी0एस0 सक्सेना	05734	222281	222529 / 9412138758

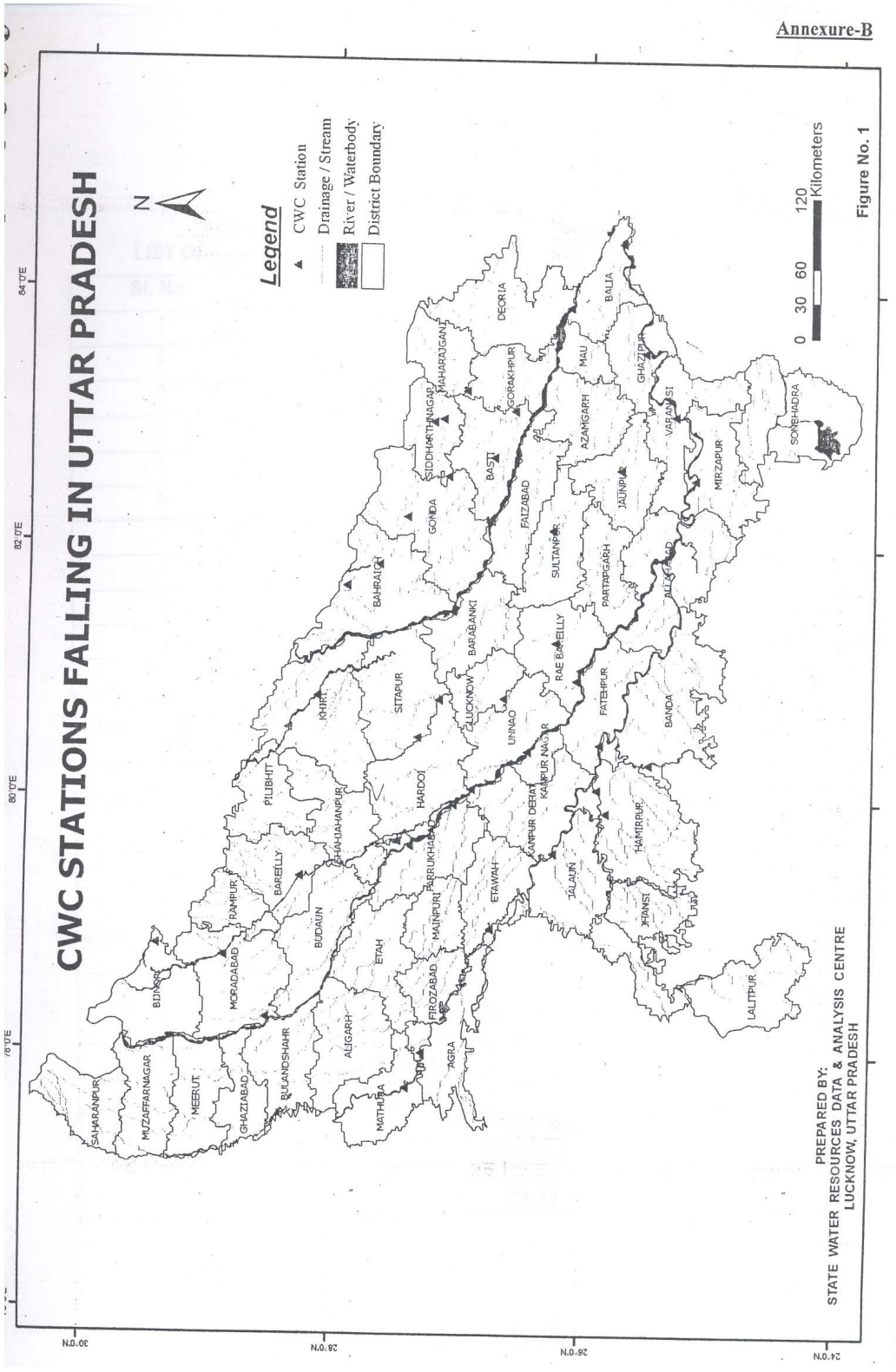

Annexure-B

Figure No. 1

बाढ़ हेतु जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में इमरजेंसी सपोर्ट फंक्शन (इ0एस0एफ0)

इ0एस0एफ0	कार्य	टीम लीडर	सदस्य
इ0एस0एफ0–1	संचारण	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक	वर्तमान वायरलेस आपरेटर्स (पुलिस, अग्निशमन, राजस्व), दूर संचार विभाग, हेम आपरेटर्स क्लब, मोबाइल आपरेटर्स, एफ0एम0 रेडियो, सिंगनल रेजीमेन्ट आर्मी
इ0एस0एफ0–2	निष्क्रमण, खोज एवं बचाव	जनपद/नगर अग्नि शमन अधिकारी	अग्निशमन, पुलिस, नागरिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, एन0सी0सी0, नेहरू युवा केन्द्र संगठन, जिला सैनिक बोर्ड
इ0एस0एफ0–3	तात्कालिक चिकित्सा अनुक्रिया	मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ मुख्य चिकित्साधीक्षक	चिकित्सालय, एम्बुलेन्स सेवायें, रक्त कोष, एन0एस0एस0, रोटरी क्लब, लाइन्स क्लब, जेसीज क्लब, रेडक्रास सोसाइटी, इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन
इ0एस0एफ0–4	राहत (जल–खाद्य–आश्रय)	अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)	जिला पूर्ति अधिकारी, उप जिलाधिकारी, निजी आपूर्ति कर्ता, जल निगम /जल संस्थान, बेसिक शिक्षा विभाग
इ0एस0एफ0–5	लोजिस्टिक (विद्युत–जल–परिवहन	अपर जिलाधिकारी (वि0रा0) अपर जिलाधिकारी (नगर)/ सिटी मजिस्ट्रेट	ऊर्जा विभाग, परिवहन विभाग, जल संस्थान, व्यक्तिगत सेवायें, लोक निर्माण विभाग, राज्य सड़क परिवहन निगम, भारतीय रेल
इ0एस0एफ0–6	सड़के एवं मलबा सफाई	नगर आयुक्त/ अधिशासी अभियन्ता (लोक निर्माण विभाग) अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका (जिला मुख्यालय)	खण्ड विकास अधिकारी,अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/ ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा/ सिंचाई विभाग/वन विभाग
इ0एस0एफ0–7	जन जागरण, सूचना प्रसारण, सहायता सेवा एवं प्रचार संपर्क	परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण	सहायक निदेशक सूचना/ जिला सूचना अधिकारी (एन0आई0सी0)/ जिला कार्यक्रम अधिकारी / जिला पंचायती राज अधिकारी /समाज कल्याण अधिकारी
इ0एस0एफ0–8	कानून एवं व्यवस्था	अपर जिलाधिकारी प्रशासन/ अपर जिलाधिकारी (वि0रा0)	अपर पुलिस अधीक्षक, सिविल डिफेंस, असिस्टेन्ट कमान्डेन्ट होमगार्ड, डिस्ट्रिक्ट आफिसर, पी0आर0डी0
इ0एस0एफ0–9	संयोजन	मुख्य विकास अधिकारी	जनपद स्तरीय विभागीय प्रमुख तथा जन प्रतिनिधि

गत बाढ़ में कार्य करने वाले स्वैच्छिक संस्थाओं की सूची

क्र0सं0	स्वैच्छिक संस्था	सम्पर्क सूत्र	कार्यक्षेत्र
1.	यूनीसेफ	श्री अमित महरोत्रा, दूरभाष 0522–2303158 0522–4093355 मोबाइल–91–9919003199	सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
2.	पूर्वांचल ग्रामीण विकास संस्थान	डा0 भानु मोबाइल– 9335910650	सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
3.	आक्सफैम	सुश्री कविता गॉधी मोबाइल– 9839025480	सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
4.	कैथलीक रिलीफ सर्विसेज	सुश्री दीप्ती मोबाइल– 9415010755	सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
5.	सी0ए0एस0ए0 (कौसा)	श्री कमल मोबाइल– 9415522477	सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
6.	इण्डो ग्लोबल सोशल सर्विस सोसायटी	सुश्री मनोरमा मोबाइल– 9415790829	सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
7.	वाटरशेड	श्री आनन्द शेखर मोबाइल– 9919003219	सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
8.	एक्शनएड	श्री सुदीप्ता कुमार मोबाइल– 9450931541	सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
9.	प्लान इण्टरनेशनल	सुश्री प्रीती मेहरा मोबाइल– 9305462910	सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
10.	गोरखपुर एनवायरमेन्टल एक्शन ग्रुप	डा0 शिराज मोबाइल– 9415211006	सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
11.	सोहरगढ़ एनवायरमेन्टल सोसायटी	डा0 बी0सी0 श्रीवास्तव मोबाइल– 9450553206	सिद्धार्थनगर व आस–पास के जनपद
12.	पंचशील डेवलपमेन्ट ट्रस्ट	श्री ध्रुवकुमार मोबाइल– 9415121205	बहराइच
13.	अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संस्थान	श्री एस0एस0 लाल मोबाइल– 9415054432	बहराइच
14.	तराई एनवायरमेन्ट अवेयरनेस समिति	श्री अजय के0 मिश्रा मोबाइल– 9415036118	बलरामपुर
15.	जनता सेवा समिति	श्री जे0पी0 यादव मोबाइल– 9336775168	बस्ती
16.	यूवा चेतना केन्द्र	श्री पारसनाथ सिंह मोबाइल– 6450680721	देवरिया
17.	जीवनधारा मार्गदर्शक सोसायटी	डा0 आर0सी0 कुशवाहा मोबाइल– 9415321652	देवरिया
18.	आस्था इन्स्टीट्यूट फॉर आर0 एण्ड डी0	श्री मनीष सिंह मोबाइल– 9415313991	गोरखपुर
19.	सर्वोदय सेवा आश्रम	श्री अभिमन्यू सिंह	चित्रकूट

क्र0सं0	स्वैच्छिक संस्था	सम्पर्क सूत्र	कार्यक्षेत्र
		मोबाइल– 9415143082	
20.	शरणम संस्थान	श्री आदेश सक्सेना मोबाइल– 9415034973	बाराबंकी
21.	भारद्वाज ग्रामोद्योग सेवा संस्थान	श्री विमल पाण्डे मोबाइल– 9415849801	महराजगंज
22.	एशोसियेशन फार सेल्फ रिलायन्स	श्री रामकुमार मोबाइल– 9415710009	श्रावस्ती
23.	कपिलवस्तु शोध एवं विकास संस्थान	डा0 जे0एन0 मिश्रा मोबाइल– 9450548315	सिद्धार्थनगर
24.	पानी संस्थान	श्रीप्रकाश मोबाइल– 9451204496	बाराबंकी फैजाबाद
25.	नारी कल्याण सेवा संस्थान	श्रीमती मणि	कुशीनगर
26.	व्यापार मण्डल, फतेहपुर		बाराबंकी
27.	ब्रिग्रेडियर यूथ, फतेहपुर		बाराबंकी
28.	व्यापारी सुरक्षा फोरम, बाराबंकी		बाराबंकी
29.	व्चापार मण्डल, बाराबंकी		बाराबंकी
30.	कुरौली कोल्ड स्टोरेज, बाराबंकी		बाराबंकी
31.	निगम राइस मिल, सूरतगंज		बाराबंकी
32.	व्यापार मण्डल, सफदरगंज		बाराबंकी
33.	जैन स्वयं सेवी संस्था, बाराबंकी		बाराबंकी
34.	प्रधान संघ		बाराबंकी
35.	चीनी मिल्स		बाराबंकी
36.	इनवर व्हील क्लब, गोरखपुर		गोरखपुर
37.	माइनार्टी आर्गेनाइजेशन फॉर सोशल डेवलपमेंट एण्ड इन्टीग्रिटी		गोरखपुर
38.	व्यापार मण्डल, आजमगढ़		आजमगढ़
39.	चिल्ड्रेन केयर सोसाइटी		आजमगढ़
40.	व्यापार मण्डल/ईट भट्ठा संघ/उद्योग संघ		आजमगढ़
41.	सामाजिक कार्यकर्ता/ पेट्रोलियम संघ		आजमगढ़
42.	अध्यक्ष अग्रवाल सभा, सीतापुर		सीतापुर
43.	रोटरी क्लब, सीतापुर		सीतापुर
44.	अध्यक्ष उद्योग व्यापार मण्डल, सीतापुर		सीतापुर
45.	अध्यक्ष मानवाधिकारी एसोसिएशन, सीतापुर		सीतापुर
46.	मारवाड़ी युवा मंच गोण्डा शाखा		गोण्डा
47.	दी आर्ट आफ लिविंग व यीनीसेफ		गोण्डा
48.	व्यापारी संघ सिविल लाइन सिंचाई विभाग,		गोण्डा
49.	चीफ जनरल मैनेजर		गोण्डा

क्र0सं0	स्वैच्छिक संस्था	सम्पर्क सूत्र	कार्यक्षेत्र
	इण्डोगल्फ फैक्ट्री मैजापुर		
50.	पवन सेवा संस्थान		गोण्डा
51.	शान्ती सर्वोदय संस्थान		गोण्डा
52.	बाराही सेवा समिति		गोण्डा
53.	केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट एशोसियेशन,		गोण्डा
54.	मेडिकल एशोसियेशन गोण्डा		गोण्डा
55.	गायत्री शक्तिपीठ		गोण्डा
56.	पूर्ति संस्थान	श्री श्याम नारायण फोन नं0 9415241637	गाजीपुर
57.	वाक वाणी संस्थान	श्री राम जतन फोन नं0 9415473881	मऊ
58.	नव भारतीय नारी विकास समिति	श्री अजहर अली 9450777864	बलिया
59.	ग्रामीण डेवलपमेन्ट सोसाइटी	श्री घनश्याम मिश्रा 9415333706	लखीमपुरखीरी
60.	जे0आई0एम0 संस्थान	श्री संजय राय	––
61.	स्टडी प्वाइंट समिति	श्री सरोज मिश्रा	9415017556